नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 270
दि. 03.07.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मुंबई बारिश के कहर में बेबस, लापरवाही बनी मौत का दूसरा नाम

मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर मानसून के सामने बेबस नजर आ रही है। करोड़ों रुपये के विकास कार्यों और हर वर्ष किए जाने वाले मॉनसून प्रबंधन के दावों के बावजूद शहर में लगातार सामने आ रहे हादसों ने प्रशासनिक तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले एक सप्ताह के भीतर खुले मैनहोल, बिजली के खुले तार, जलभराव, पेड़ों के गिरने और भूस्खलन जैसी घटनाओं में पांच लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि जहां एक ओर भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहीं दूसरी ओर नागरिकों में यह डर गहराता जा रहा है कि बारिश अब केवल असुविधा नहीं, बल्कि जानलेवा खतरा बन चुकी है।

गुरुवार को सबसे दर्दनाक घटना मुंबई के साकिनाका इलाके में सामने आई। खैरानी रोड पर ड्रेनेज लाइन की मरम्मत के दौरान खुला छोड़ा गया मैनहोल 60 वर्षीय असलम इसाक शेख के लिए मौत का कारण बन गया। यादव नगर निवासी असलम शेख बारिश के बीच फोन पर बात करते हुए सड़क से गुजर रहे थे। पानी से ढका खुला मैनहोल उन्हें दिखाई नहीं दिया और वह सीधे उसमें गिर गए। तेज बहाव के कारण कुछ ही क्षणों में वह सीवेज लाइन में बह गए। आसपास मौजूद मजदूरों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन बहाव इतना तेज था कि उनके हाथ केवल छाता और चप्पल ही लग सके। बाद में दमकल विभाग के विशेष बचाव दल ने कई घंटे की मशक्कत के बाद उनका शव बाहर निकाला। राजावाड़ी अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इस घटना ने महाराष्ट्र विधानसभा तक को झकझोर दिया। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इसे साधारण दुर्घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर मामला बताते हुए 'गैर-इरादतन हत्या' जैसा बताया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिड़े ने तत्काल जांच के आदेश दिए, जिसके बाद प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने पर एल वार्ड के सहायक आयुक्त धनाजी हेर्लेकर, सहायक अभियंता दीपक चौगुले, कनिष्ठ अभियंता अभिजीत चौगुले तथा मल-जल संचालन विभाग के सहायक अभियंता उत्तम पाटील को निलंबित कर दिया गया। संबंधित ठेकेदार को भी ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुंबई की महापौर रितु तावड़े ने मृतक के परिवार को दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

साकिनाका हादसे की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि ठाणे जिले के मुंब्रा और डोंबिवली से करंट लगने की दो और दर्दनाक घटनाएं सामने आ गईं। मुंब्रा के यास्मीन पार्क इलाके में 17 वर्षीय आलिया बारिश के दौरान घर से बाहर निकली थी। सड़क पर भरे पानी में बिजली का करंट दौड़ रहा था, जिसकी चपेट में आते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। घटना के बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन भी हुआ।

इसी तरह डोंबिवली के हनुमान नगर में 42 वर्षीय शशी राहुल चक्र अपने दो छोटे बच्चों के लिए नाश्ता लेने घर से निकली थीं। बारिश के कारण सड़क पर पानी भरा हुआ था और एक जीवित बिजली का तार टूटकर उसी पानी में गिरा हुआ था। अनजाने में वह उसी पानी से गुजर गईं और करंट लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस हादसे ने दो मासूम बच्चों के सिर से मां का साया छीन लिया। परिजनों ने बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है।

बारिश के दौरान करंट फैलने की घटनाएं केवल यहीं तक सीमित नहीं रहीं। नवी मुंबई के नेरुल स्थित एलपी ब्रिज के पास जमीन के नीचे बिछी विद्युत केबल फटने से फैले करंट की चपेट में 17 वर्षीय शुभांगी बलखंडे और 19 वर्षीय उज्ज्वला वाघ भी आ गईं। हालांकि समय रहते स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचा दिया, जिससे उनकी जान बच गई। वहीं उल्हासनगर के जीजामाता क्षेत्र में बाढ़ का पानी घरों में घुस जाने से 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला कई घंटे तक घर में फंसी रहीं। दमकल विभाग ने रेस्क्यू अभियान चलाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला।

मुंबई के दहिसर पूर्व स्थित घाटकोपर पाड़ा नाले में भी एक व्यक्ति तेज बहाव में बहने लगा। सूचना मिलते ही दहिसर पुलिस मौके पर पहुंची और जोखिम उठाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिसकर्मियों की इस त्वरित कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनकी सराहना कर रहे हैं।

उधर रायगढ़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आंबेनली घाट के बावली टोक क्षेत्र में एक बार फिर भूस्खलन हुआ। पहाड़ी से भारी मात्रा में चट्टानें और मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने लोगों से अत्यंत आवश्यक होने पर ही घाट मार्ग का उपयोग करने की अपील की है। महाड क्षेत्र में संभावित बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 32 सदस्यीय टीम को पहले से तैनात कर दिया गया है। यह पहला अवसर नहीं है जब मुंबई में बारिश के दौरान लापरवाही ने लोगों की जान ली हो। 30 जून को चेंबूर में 70 वर्ष पुराना विशाल पीपल का पेड़ एक स्कूल बस पर गिर गया था। बस में 13 बच्चे सवार थे। हादसे में पांच बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए और 11 वर्षीय विहान श्रीवास्तव की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सड़क चौड़ीकरण और कंक्रीटीकरण के कारण पेड़ की जड़ें कमजोर हो गई थीं। इस घटना के बाद भी नगर प्रशासन ने उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए थे।

इससे पहले 24 जून को किंग्स सर्कल स्थित गांधी मार्केट में जलभराव का निरीक्षण करने पहुंचीं महापौर रितु तावड़े के सामने ही बीएमसी का एक सुपरवाइजर खुले नाले में गिर गया था। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उसे बाहर निकाल लिया था। उस घटना के बाद महापौर ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि कहीं भी खुला नाला या मैनहोल मिला तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बावजूद कुछ ही दिनों बाद साकिनाका में खुले मैनहोल ने एक बुजुर्ग की जान ले ली, जिससे प्रशासनिक दावों की वास्तविकता सामने आ गई।

लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने पालघर और पुणे के घाट क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, नागपुर, अमरावती, अकोला, वर्धा, भंडारा और चंद्रपुर सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है। नागरिकों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने तथा नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

बारिश का असर शहर के बुनियादी ढांचे पर भी साफ दिखाई दे रहा है। बीएमसी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मुंबई महानगर क्षेत्र में 113 से अधिक पेड़ और उनकी शाखाएं गिरने की घटनाएं दर्ज की गईं। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट के 13 मामले तथा दीवार गिरने और जलभराव की छह बड़ी घटनाएं भी सामने आई हैं। कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ और बिजली आपूर्ति भी बाधित रही।

वर्षा के आंकड़े भी इस बार असामान्य स्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं। बीएमसी के अनुसार 1 जुलाई सुबह 8 बजे से गुरुवार सुबह तक मुंबई शहर में 134 मिमी, पूर्वी उपनगरों में 164 मिमी और पश्चिमी उपनगरों में 149 मिमी वर्षा दर्ज की गई। मुलुंड, पवई, मानखुर्द, सांताक्रूज, अंधेरी और जी-साउथ वार्ड सहित कई इलाकों में 180 से 220 मिमी तक बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे अधिकांश निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी रही।

लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मुंबई हर साल मानसून के लिए वास्तव में तैयार होती है या फिर हादसों के बाद केवल कार्रवाई और जांच की औपचारिकता निभाई जाती है। खुले मैनहोल, टूटे बिजली के तार, जर्जर पेड़ और अधूरे निर्माण कार्य यदि समय रहते सुरक्षित नहीं किए गए, तो बारिश का हर नया दौर आम नागरिकों के लिए जानलेवा साबित होता रहेगा। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई और सुधार के दावे जरूर किए हैं, लेकिन मुंबईकरों की नजर अब उन दावों के जमीनी अमल पर टिकी हुई है।

केतन हत्याकांड में जांच का नया मोड़, सिया गोयल के लाई डिटेक्टर टेस्ट की तैयारी

पुणे/मुंबई। चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। मामले में अब तक कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं आने और घटनाक्रम से जुड़े कई सवालों के अनुत्तरित रहने के कारण पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लेने का फैसला किया है। इसी क्रम में मुख्य आरोपी सिया गोयल का लाई डिटेक्टर (सत्यता परीक्षण) कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इस संबंध में वडगांव मावल न्यायालय में अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि न्यायालय से मंजूरी मिलती है, तो जांच एजेंसियां सिया गोयल का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराकर मामले से जुड़े उन सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास करेंगी, जिन पर अब तक स्पष्टता नहीं मिल सकी है।

जांच अधिकारियों के अनुसार, केतन अग्रवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में शुरुआती जांच के दौरान कई लोगों से पूछताछ की गई और उपलब्ध सभी तथ्यों को एकत्र किया गया। हालांकि, घटना को काफी समय बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ऐसा प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं आया है, जो यह स्पष्ट रूप से बता सके कि घटना के समय वास्तव में क्या हुआ था और केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दिया गया था या नहीं। प्रत्यक्ष साक्ष्यों के अभाव में जांच एजेंसियों के सामने परिस्थितिजन्य और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ही पूरे घटनाक्रम को जोड़ने की चुनौती बनी हुई है।

पुलिस ने बताया कि सिया गोयल और मामले से जुड़े एक अन्य व्यक्ति चेतन चौधरी के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। दोनों से कई दौर की पूछताछ भी की गई है, लेकिन जांच के दौरान कुछ ऐसे बिंदु सामने आए हैं, जिन पर अब भी संदेह बना हुआ है। अधिकारियों का मानना है कि विभिन्न बयानों और उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों के बीच मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक हो गया है। इसी वजह से अदालत से लाई डिटेक्टर टेस्ट की अनुमति मांगी गई है।

फिलहाल पूरी जांच तकनीकी साक्ष्यों पर केंद्रित है। जांच दल मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), लोकेशन डेटा, इलेक्ट्रॉनिक संचार, घटनास्थल से जुटाए गए डिजिटल साक्ष्यों और अन्य फॉरेंसिक जानकारियों का विस्तृत विश्लेषण कर रहा है। इसके अलावा घटनास्थल का पुनर्निर्माण (रीकंस्ट्रक्शन) भी कराया गया है, ताकि यह समझा जा सके कि घटना किस प्रकार हुई और उस समय मौजूद लोगों की गतिविधियां क्या थीं। पुलिस इन सभी तथ्यों का आपस में मिलान कर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है।

जांच अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक परीक्षण स्वयं में अंतिम साक्ष्य नहीं होता, लेकिन इससे जांच को महत्वपूर्ण दिशा मिल सकती है। यदि न्यायालय अनुमति देता है और परीक्षण कराया जाता है, तो उसके आधार पर जांच एजेंसियां आगे की पूछताछ, साक्ष्य संग्रह और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को गति दे सकेंगी। पुलिस का मानना है कि सत्यता परीक्षण से ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं, जो अब तक जांच के दौरान स्पष्ट नहीं हो सके हैं।

इस बीच जांच एजेंसियां मामले के प्रत्येक पहलू की गहन पड़ताल कर रही हैं और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी उपलब्ध साक्ष्यों का वैज्ञानिक एवं कानूनी परीक्षण किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है तथा न्यायालय की अनुमति मिलने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। केतन अग्रवाल हत्याकांड को लेकर लोगों की निगाहें अब अदालत के फैसले और पुलिस की अगली जांच प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं।

विभाजन की पीड़ा झेलने वाले शरणार्थी नहीं, संघर्ष और राष्ट्रनिष्ठा के प्रतीक थेः मोहन भागवत

नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने वर्ष 1947 के भारत-विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आए लोगों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें केवल "शरणार्थी" कहना उनके संघर्ष और बलिदान का उचित सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा कि वे लोग वास्तव में संघर्ष के योद्धा थे, जिन्होंने अपने धर्म, संस्कृति और मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा के कारण अपार कष्ट झेलते हुए अपना सब कुछ छोड़ दिया और भारत आने का कठिन निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने संपत्ति, व्यवसाय और वर्षों की मेहनत से बनाई गई जीवनभर की पूंजी को पीछे छोड़ दिया, लेकिन अपने राष्ट्र और सांस्कृतिक मूल्यों से समझौता नहीं किया।

मोहन भागवत गुरुवार को नागपुर में सिंधी समाज द्वारा संचालित सिंधु एजुकेशन सोसायटी के 75वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने विभाजन के दौर की ऐतिहासिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय लाखों परिवारों को अपने घर, खेत, कारोबार और सामाजिक जीवन को छोड़कर भारत आना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक भौगोलिक विस्थापन नहीं था, बल्कि अपनी पहचान, आस्था और राष्ट्रीय चेतना को सुरक्षित रखने के लिए किया गया त्याग था।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले अनेक परिवारों ने अपने पूर्वजों की वर्षों की मेहनत से अर्जित संपत्ति, भूमि और प्रतिष्ठा को त्याग दिया। यह निर्णय किसी क्षणिक भावावेश या मजबूरी में नहीं लिया गया था, बल्कि पूरी समझ और दूरदर्शिता के साथ लिया गया था। उनका मानना था कि वे ऐसे देश में रहना चाहते हैं, जहां उन्हें अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो। यही कारण था कि उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि और भविष्य के रूप में चुना।

सरसंघचालक ने कहा कि विभाजन के समय भारत आने वाले लोगों को शरणार्थी कहना उनके संघर्ष को सीमित कर देना होगा। उनके अनुसार वे ऐसे लोग थे, जिन्होंने अपने निजी हितों और भौतिक संपदा से ऊपर राष्ट्र और संस्कृति को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास नहीं खोया और नए सिरे से अपने जीवन का निर्माण किया। आज देश के विभिन्न हिस्सों में सिंधी समाज और विभाजन के दौरान आए अन्य समुदायों ने अपने परिश्रम, उद्यमिता और सामाजिक योगदान से यह सिद्ध कर दिया है कि कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त की जा सकती है।

मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को अखंड बनाए रखने का प्रयास उस समय सफल नहीं हो पाया, लेकिन विभाजन के दौर में जिन लोगों ने अपने राष्ट्र और धर्म के प्रति निष्ठा दिखाई, उनका योगदान इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा कि उस पीढ़ी ने विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और धैर्य का परिचय दिया तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष और आत्मविश्वास का आदर्श प्रस्तुत किया।

उन्होंने वर्तमान पीढ़ी को भी संदेश देते हुए कहा कि जीवन में चुनौतियां और कठिन परिस्थितियां हर व्यक्ति के सामने आती हैं, लेकिन उनसे घबराकर हार मान लेना समाधान नहीं है। जो लोग स्वयं को असहाय मान लेते हैं, वे आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि संघर्ष का मार्ग चुनने वाले अंततः सफलता हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों, आत्मविश्वास, परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ उनका सामना किया जाए तो नई शुरुआत हमेशा संभव होती है।

अपने संबोधन के अंत में मोहन भागवत ने कहा कि विभाजन की त्रासदी केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि उससे मिलने वाली सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र, संस्कृति और सामाजिक एकता को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना ही उन लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने 1947 के विभाजन की पीड़ा झेलते हुए नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मणिपुर में हिंसा की नई लपटें, भारत-म्यांमार सीमा पर 20 से अधिक घर जलाए

इंफाल। मणिपुर में शांति बहाल करने के सरकारी प्रयासों के बीच एक बार फिर हिंसा ने गंभीर रूप ले लिया है। भारत-म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे कामजोंग जिले में हथियारबंद उग्रवादियों ने दो आदिवासी गांवों पर हमला कर 20 से अधिक घरों में आग लगा दी। इस ताजा घटना ने राज्य में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और सीमावर्ती इलाकों की संवेदनशीलता को लेकर चिंता बढ़ा दी है। प्रभावित गांवों में कुकी-जो और तंगखुल नगा समुदाय के लोग रहते हैं। प्रशासन ने घटनाओं की जांच शुरू कर दी है और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

अधिकारियों के अनुसार पहली घटना बुधवार को भारत-म्यांमार सीमा के निकट स्थित फाइमोल गांव में हुई। यह गांव चसाड पुलिस थाना क्षेत्र से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है। हथियारबंद उग्रवादियों ने गांव में घुसकर करीब 10 घरों में आग लगा दी। हालांकि घटना के समय गांव लगभग खाली था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से स्थानीय ग्रामीण सुरक्षा कारणों से निकटवर्ती गांव में अस्थायी रूप से शरण लिए हुए थे, जिसके कारण जनहानि नहीं हुई। आगजनी में कई मकान पूरी तरह जलकर राख हो गए और लोगों की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा।

इसके कुछ समय बाद कामजोंग जिले के ही कोंगकन थाना क्षेत्र तथा आसपास के इलाकों में भी आगजनी की दूसरी घटना सामने आई। यहां तंगखुल नगा समुदाय के लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कम से कम आठ घरों में आग लगा दी गई, जबकि फुंग्यार क्षेत्र के विधायक लेशियो केशिंग का दावा है कि तंगखुल नगा समुदाय के 12 से अधिक घर इस हिंसा की चपेट में आए हैं। पुलिस का कहना है कि वास्तविक नुकसान का आकलन किया जा रहा है और घटनास्थलों पर जांच दल भेजे गए हैं।

घटना के बाद कुकी समुदाय की शीर्ष संस्था कुकी इनपी मणिपुर ने हमले की कड़ी निंदा की है। संगठन ने आरोप लगाया कि यह हमला म्यांमार में छिपे उग्रवादी संगठनों से जुड़े हथियारबंद समूहों द्वारा किया गया। संगठन ने राज्य और केंद्र सरकार से सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत करने तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियां इस संभावना की भी जांच कर रही हैं कि दूसरी आगजनी की घटना पहली घटना के जवाब में की गई हो सकती है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी भी निष्कर्ष की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार दोनों घटनाओं के पीछे जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए विभिन्न तकनीकी और खुफिया सूचनाओं का विश्लेषण किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और संवेदनशील गांवों में गश्त बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। इस बीच मणिपुर में हिंसा की ताजा घटनाओं को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मणिपुर लंबे समय से हिंसा और नफरत की आग में जल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस संकट की अनदेखी कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि दो सरकारों और राष्ट्रपति शासन के बावजूद राज्य में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उनके अनुसार हजारों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है और अनेक परिवार उजड़ चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर जिस पीड़ा और असुरक्षा के दौर से गुजर रहा है, उसकी कल्पना करना भी कठिन है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और पहचान के आधार पर बांटने की राजनीति ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। उन्होंने कहा कि केवल प्रशासनिक कार्रवाई ही नहीं, बल्कि पीड़ित लोगों के प्रति संवेदनशीलता और विश्वास बहाली के प्रयास भी आवश्यक हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर के लोगों को शांति, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार है तथा राज्य में स्थायी समाधान के लिए संवाद और सामाजिक विश्वास की पुनर्स्थापना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि मणिपुर पिछले लंबे समय से जातीय तनाव और हिंसक घटनाओं से जूझ रहा है। समय-समय पर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव, आगजनी और हिंसा की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिससे हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय उग्रवादी गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय सीमा की संवेदनशीलता के कारण सुरक्षा एजेंसियों के सामने स्थिति को नियंत्रित रखना लगातार चुनौती बना हुआ है। ताजा घटनाओं ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में स्थायी शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सुरक्षा उपायों के साथ-साथ सभी पक्षों के बीच विश्वास निर्माण और संवाद की प्रक्रिया को मजबूत करना आवश्यक होगा।

संपादकीय

तकनीक और समयबद्धता से मजबूत होती न्याय व्यवस्था

किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी न्याय व्यवस्था से मापी जाती है। जब नागरिक यह महसूस करता है कि उसकी शिकायत बिना भेदभाव के दर्ज होगी, जांच निष्पक्ष होगी, साक्ष्य सुरक्षित रहेंगे और उसे समय पर न्याय मिलेगा, तभी कानून के प्रति उसका विश्वास मजबूत होता है। यदि न्याय मिलने में वर्षों लग जाएं, पीड़ित को बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ें और प्रक्रिया इतनी जटिल हो जाए कि आम व्यक्ति स्वयं को असहाय महसूस करे, तो कानून का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। यही कारण है कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में किए गए हालिया सुधार केवल कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि न्याय को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। लंबे समय तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अनेक व्यावहारिक चुनौतियों से घिरी रही। शिकायत दर्ज करने से लेकर अंतिम निर्णय आने तक कई बार वर्षों का समय लग जाता था। पुलिस, न्यायालय, अभियोजन, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और जेल प्रशासन के बीच समन्वय की कमी के कारण एक ही जानकारी को कई बार दर्ज करना पड़ता था। कागजी दस्तावेजों पर अत्यधिक निर्भरता, अलग-अलग विभागों की कार्यप्रणाली और तकनीकी संसाधनों का सीमित उपयोग पूरी प्रक्रिया को धीमा बना देता था। इसका सबसे अधिक नुकसान पीड़ित, गवाह और आम नागरिक को उठाना पड़ता था। न्याय मिलने में होने वाली देरी कई बार न्याय के महत्व को ही कम कर देती थी। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में लागू किए गए नए कानून न्याय व्यवस्था को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। इन कानूनों का उद्देश्य केवल पुराने औपनिवेशिक कानूनों का स्थान लेना नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जिसमें तकनीक, पारदर्शिता और जवाबदेही को समान महत्व मिले। यह परिवर्तन इस सोच पर आधारित है कि न्याय केवल अदालत का निर्णय नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया का अनुभव है। यदि प्रत्येक चरण समयबद्ध, स्पष्ट और निष्पक्ष होगा, तभी नागरिकों का विश्वास मजबूत होगा।

इन सुधारों की सबसे बड़ी विशेषता समय-सीमाओं पर विशेष ध्यान देना है। जांच, आरोप पत्र दाखिल करने, समन जारी करने और विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए स्पष्ट समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इससे अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ती है और अनावश्यक विलंब पर नियंत्रण संभव होता है। जब किसी प्रक्रिया की डिजिटल निगरानी होती है और समय-समय पर स्वचालित अलर्ट जारी किए जाते हैं, तब लापरवाही या अनदेखी की संभावना भी कम हो जाती है। इससे मामलों के शीघ्र निपटारे की दिशा में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं और नागरिकों को यह विश्वास मिल रहा है कि उनकी शिकायत अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रहेगी। तकनीक का व्यापक उपयोग इन सुधारों का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है। अब ई-एफआईआर, जीरो एफआईआर, ई-समन, ई-साक्ष्य, ई-फोरेंसिक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल केस प्रबंधन जैसी व्यवस्थाएं न्याय प्रक्रिया को सरल और तेज बना रही हैं। किसी भी नागरिक के लिए शिकायत दर्ज कराना अब पहले की तुलना में अधिक सुलभ हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कारण दस्तावेजों के गुम होने, छेड़छाड़ या बार-बार प्रतियां तैयार करने जैसी समस्याओं में कमी आती है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ती है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसके माध्यम से पुलिस, न्यायालय, अभियोजन, कारागार और फोरेंसिक विभाग एक साझा डिजिटल मंच पर जुड़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक बार दर्ज की गई जानकारी को विभिन्न विभागों द्वारा दोबारा दर्ज करने की आवश्यकता नहीं रहती। इससे त्रुटियां कम होती हैं, कार्य में तेजी आती है और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है। न्याय प्रक्रिया में सूचनाओं का तेज आदान-प्रदान निर्णय लेने की गति को भी बढ़ाता है और प्रशासनिक बोझ कम करता है। वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा देना भी इन सुधारों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गंभीर अपराधों में फोरेंसिक विशेषज्ञों की अनिवार्य भागीदारी से साक्ष्यों की विश्वसनीयता बढ़ती है। आधुनिक मोबाइल फोरेंसिक वैन घटनास्थल पर पहुंचकर तुरंत वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र कर सकती हैं, जिससे महत्वपूर्ण प्रमाण नष्ट होने की संभावना कम हो जाती है। वैज्ञानिक जांच पर आधारित मुकदमे न केवल अधिक मजबूत होते हैं, बल्कि निर्दोष व्यक्तियों को गलत तरीके से फंसाए जाने की संभावना भी घटती है। इससे न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता और विश्वसनीयता दोनों मजबूत होती हैं। हालांकि किसी भी बड़े सुधार की सफलता केवल कानून बनाने से सुनिश्चित नहीं होती। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब पुलिसकर्मी, अभियोजक, न्यायिक अधिकारी, फोरेंसिक विशेषज्ञ और प्रशासनिक तंत्र नई व्यवस्था को पूरी निष्ठा से अपनाएं। इसके लिए निरंतर प्रशिक्षण, आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता, पर्याप्त वित्तीय निवेश और राज्यों तथा केंद्र सरकार के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि देश का प्रत्येक नागरिक इन सुधारों का समान रूप से लाभ उठा सके।

Kejriwal जैसा उदाहरण दोबारा ना बने, इसके लिए बड़ा विधेयक लाने की तैयारी में मोदी सरकार, 30 दिन जेल में रहे तो जायेगी PM, CM और मंत्री की कुर्सी

> सूत्रों के अनुसार समिति अपनी रिपोर्ट में उस विवादास्पद प्रावधान को बरकरार रख सकती है, जिसके तहत किसी मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को गंभीर अपराध के मामले में लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने पर स्वतः पद से हटाया जा सकता है।

गंभीर अपराधों में गिरफ्तार मंत्रियों को 30 दिन की लगातार हिरासत के बाद पद से हटाने से जुड़े संविधान के 130वें संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त संसदीय समिति 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट अपनाने जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार इस विधेयक को शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देख रही है। सरकार का मानना है कि यदि कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री लंबे समय तक जेल में रहते हुए पद पर बना रहता है तो शासन व्यवस्था प्रभावित होती है और जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। हम आपको याद दिला दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान ऐसा ही विवाद सामने आया था, जब उन्होंने जेल से ही सरकार चलाई थी। देखा जाये तो ऐसी स्थितियां लोकतांत्रिक जवाबदेही और सुशासन की भावना के विपरीत हैं, इसलिए इस तरह की परिस्थितियों को रोकने के लिए स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था जरूरी है। सूत्रों के अनुसार समिति अपनी रिपोर्ट में उस विवादास्पद प्रावधान को बरकरार रख सकती है, जिसके तहत किसी मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को गंभीर अपराध के मामले में लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने पर स्वतः पद से हटाया जा सकता है। हालांकि समिति इस कानून के संभावित दुरुपयोग को लेकर सावधानी संबंधी सुझाव भी दे सकती है ताकि राजनीतिक बदले की भावना से इसका इस्तेमाल न हो सके। माना जा रहा है कि समिति अपनी सिफारिशों में ऐसे सुरक्षा उपाय जोड़ सकती है जिनसे केवल गंभीर और स्पष्ट मामलों में ही यह प्रावधान लागू हो।

माना जा रहा है कि यह विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र में लाया जाएगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना है और उसी दौरान इस विधेयक पर चर्चा तथा पारित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। हम आपको याद दिला दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले वर्ष अगस्त में यह विधेयक संसद में पेश किया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसे विधेयक के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया था।

समिति की कार्यवाही के दौरान विपक्षी दलों और सत्तापक्ष के बीच तीखा मतभेद देखने को मिला। कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन इंडिया के अधिकांश सदस्यों ने समिति की बैठकों का बहिष्कार किया। विपक्ष का आरोप था कि समिति में सत्तारुढ़ दल का बहुमत होने के कारण उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और समिति केवल औपचारिक मंजूरी देने वाली संस्था बनकर रह जाएगी। विपक्षी नेताओं का कहना था कि ऐसे माहौल में भागीदारी का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है।

वहीं सत्तारुढ़ गठबंधन से जुड़े सदस्यों ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज किया। उनका तर्क है कि प्रस्तावित कानून लोकतांत्रिक व्यवस्था या संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं है। विपक्ष का कहना रहा है कि केवल हिरासत के आधार पर किसी जनप्रतिनिधि को दंडित करना प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि अदालत द्वारा दोष सिद्ध होने से पहले ही मंत्री को पद से हटाया जाना अनुचित माना जा सकता है। इसके जवाब में सत्तापक्ष के सदस्यों ने दलील दी कि लगातार 30 दिन की हिरासत के दौरान संबंधित व्यक्ति को कम से कम तीन बार जमानत मांगने का अवसर मिल सकता है। इसलिए यह कानून प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता।

सूत्रों के मुताबिक समिति के कई सदस्य, चाहे वह सत्तापक्ष से हों, विपक्ष से या तटस्थ दलों से, इस बात पर सहमत हैं कि विधेयक में ऐसे प्रावधान जोड़े जाने चाहिए जिनसे कानून का दुरुपयोग रोका जा सके। समिति यह भी सुझाव दे सकती है कि किन प्रकार के अपराधों पर यह कानून लागू होगा, इसके लिए स्पष्ट सीमा या मानक तय किए जाएं। माना जा रहा है कि केवल उन्हीं मामलों में कार्रवाई हो जहां अपराध अत्यंत गंभीर हो और जिसकी सजा पांच वर्ष या उससे अधिक की हो।

बताया जा रहा है कि विपक्षी सांसद समिति की रिपोर्ट पर असहमति टिप्पणी भी दर्ज करा सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि विधेयक को लेकर राजनीतिक सहमति अभी दूर दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि समिति में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों का प्रभाव अधिक है, लेकिन इसमें अन्य दलों के सदस्य भी शामिल हैं। इनमें एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले तथा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद एस निरंजन रेड्डी भी शामिल हैं।

प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार यदि किसी मंत्री पर ऐसा अपराध दर्ज हो जिसकी सजा पांच वर्ष या उससे अधिक हो और वह लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहे, तो उसे पद से हटाया जा सकेगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल मंत्री को पद से हटाने का निर्देश दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि 30 दिन की हिरासत पूरी हो जाती है, तो 31वें दिन स्वतः पद समाप्त होने का प्रावधान भी रखा गया है।

हम आपको यह भी बता दें कि इस विधेयक के समर्थक यह भी तर्क दे रहे हैं कि इसका उद्देश्य केवल कानूनी जवाबदेही तय करना नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था को ठप होने से बचाना भी है। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान ऐसी स्थिति देखने को मिली थी जब उन्होंने जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा था। आम आदमी पार्टी ने उस समय कहा था कि वह जेल से ही सरकार चलाएंगे। हालांकि उस दौर में दिल्ली सरकार के कामकाज और प्रशासनिक फैसलों को लेकर लगातार सवाल उठे थे। अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने तक दिल्ली में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की बैठकें नहीं हो सकीं थीं जिससे प्रशासनिक निर्णय प्रभावित हुए और इसका असर सीधे जनता पर पड़ा था। इसी तरह तमिलनाडु में भी वी. सेंथिल बालाजी का मामला राजनीतिक बहस का केंद्र बना था। धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के बाद भी वह लंबे समय तक मंत्री पद पर बने रहे और जेल में रहते हुए सरकार का हिस्सा माने जाते रहे। विधेयक के समर्थकों का कहना है कि ऐसे उदाहरण बताते हैं कि यदि कोई जनप्रतिनिधि लंबे समय तक हिरासत में रहता है तो शासन व्यवस्था, जवाबदेही और प्रशासनिक पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा न हो, इसके लिए स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था जरूरी मानी जा रही है।

बहरहाल, यह विधेयक अब केवल कानूनी प्रस्ताव भर नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक जवाबदेही, प्राकृतिक न्याय और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के बीच संतुलन को लेकर राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। संसद के आगामी मानसून सत्र में इस पर होने वाली चर्चा से यह तय होगा कि देश की राजनीतिक व्यवस्था में जवाबदेही और अधिकारों के बीच संतुलन किस दिशा में आगे बढ़ेगा।

प्रेरणा

लघु रचनाओं में समाई जीवन की विराट सच्चाइयाँ

साहित्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संवेदनशीलता और समाज को देखने की दृष्टि में निहित होती है। कोई भी रचना केवल शब्दों का संयोजन नहीं होती, बल्कि वह अपने समय, समाज और मनुष्य के अनुभवों का जीवंत दस्तावेज होती है। जब कोई लेखक जीवन की छोटी-छोटी घटनाओं को गहरे अर्थों के साथ प्रस्तुत करता है, तब वह पाठकों को केवल कहानी नहीं सुनाता, बल्कि उन्हें सोचने, आत्मविश्लेषण करने और अपने आसपास की दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा भी देता है। यही कारण है कि लघुकथा, संस्मरण और व्यंग्य जैसी साहित्यिक विधाओं का महत्व समय के साथ लगातार बढ़ता गया है। ये विधाएं आकार में भले ही छोटी हों, लेकिन इनके भीतर जीवन के बड़े प्रश्न, सामाजिक विडंबनाएँ और मानवीय संवेदनाओं का विस्तृत संसार समाया होता है। यही विशेषता इन्हें अन्य साहित्यिक विधाओं से अलग पहचान प्रदान करती है। आज का समय तीव्र गति से बदलते सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का समय है। मनुष्य पहले से अधिक शिक्षित, तकनीकी रूप से सक्षम और सूचनाओं से समृद्ध हुआ है, लेकिन इसके साथ ही उसके जीवन में कृत्रिमता, प्रतिस्पर्धा और आत्मकेंद्रित सोच भी बढ़ी है। ऐसे दौर में साहित्य की जिम्मेदारी केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रह जाती। उसे समाज के सामने वे प्रश्न भी रखने पड़ते हैं जिन्हें सामान्य जीवन में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यही कार्य लघु साहित्यिक विधाएं अत्यंत प्रभावशाली ढंग से करती हैं। वे बिना किसी लंबे कथानक के जीवन की किसी एक घटना या अनुभव को इस प्रकार प्रस्तुत करती हैं कि उसके भीतर पूरे समाज की मानसिकता प्रतिबिंबित होने लगती है।

लघुकथा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी संक्षिप्तता नहीं, बल्कि उसकी अर्थवत्ता है। सीमित शब्दों में व्यापक जीवन-दर्शन प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन कार्य है। सफल लघुकथा वही मानी जाती है जो पढ़ने के बाद समाप्त नहीं होती, बल्कि पाठक के भीतर विचारों का सिलसिला शुरू कर देती है। कहानी का अंतिम वाक्य अक्सर उसके आरंभ से अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि वहीं से पाठक स्वयं कहानी को अपने अनुभवों के साथ जोड़ना शुरू करता है। यही कारण है कि लघुकथाएं पाठक को तैयार निष्कर्ष नहीं देतीं, बल्कि उसे स्वयं सोचने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती हैं। संस्मरण इन रचनाओं को वास्तविक जीवन के और निकट ले आते हैं। संस्मरण का आधार कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव होता है। लेखक अपने जीवन में देखे, सुने और महसूस किए गए प्रसंगों को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वे केवल उसकी निजी स्मृतियां नहीं रह जातीं, बल्कि सामूहिक अनुभव का हिस्सा बन जाती हैं। पाठक को ऐसा लगता है मानो वह स्वयं उन घटनाओं का प्रत्यक्ष साक्षी हो। यही आत्मीयता संस्मरण को विशेष बनाती है। इसमें इतिहास का दस्तावेज भी होता है, समाज का चित्र भी और व्यक्ति की संवेदना भी। इसीलिए संस्मरण केवल अतीत का वर्णन नहीं, बल्कि वर्तमान को समझने का भी माध्यम बन जाते हैं। व्यंग्य साहित्य की वह विधा है जो समाज की विसंगतियों को सबसे प्रभावशाली ढंग से उजागर करती है। व्यंग्य का उद्देश्य किसी व्यक्ति का उपहास करना नहीं होता, बल्कि उन प्रवृत्तियों पर चोट करना होता है जो समाज को भीतर से कमजोर करती हैं। जब दिखावा सच्चाई पर भारी पड़ने लगे, जब धर्म के नाम पर व्यापार होने लगे, जब ईमानदारी की जगह अवसरवाद ले ले और जब नैतिकता केवल भाषणों तक सीमित रह जाए, तब व्यंग्य अपनी पूरी प्रासंगिकता के साथ सामने आता है। श्रेष्ठ व्यंग्य पाठक को हँसाता कम है और सोचने पर अधिक मजबूर करता है। वह कटाक्ष के माध्यम से ऐसे प्रश्न उठाता है जिनका उत्तर समाज को स्वयं देना होता है।

वर्तमान समय में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बाहरी सफलता को आंतरिक मूल्यों से अधिक महत्व दिया जाने लगा है। लोग सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक सम्पन्नता और सार्वजनिक छवि को लेकर अधिक चिंतित दिखाई देते हैं, जबकि सत्यनिष्ठा, संवेदनशीलता और मानवीयता जैसे मूल्यों की चर्चा अपेक्षाकृत कम होती है। साहित्य ऐसे समय में समाज का दर्पण बनकर सामने आता है। वह केवल अच्छाइयों का गुणगान नहीं करता, बल्कि उन कमियों को भी उजागर करता है जिनकी अनदेखी भविष्य के लिए घातक हो सकती है। यही कारण है कि संवेदनशील साहित्यकार समाज के सुखद पक्षों के साथ-साथ उसकी कमजोरियों को भी समान ईमानदारी से प्रस्तुत करता है।

धार्मिक और सामाजिक जीवन में बढ़ते आडंबर पर भी साहित्य समय-समय पर प्रश्न उठाता रहा है। सच्ची आस्था का संबंध मनुष्य के व्यवहार, करुणा और नैतिकता से होता है, जबकि दिखावटी धार्मिकता अक्सर केवल बाहरी प्रतीकों तक सीमित रह जाती है। यदि मंदिरों, तीर्थों और धार्मिक आयोजनों में भी मानवीय संवेदनाएं पीछे छूट जाएं, तो साहित्य का दायित्व बनता है कि वह इस विरोधाभास को सामने लाए। यह आलोचना किसी धर्म के विरुद्ध नहीं होती, बल्कि उन प्रवृत्तियों के विरुद्ध होती है जो धर्म के मूल उद्देश्य को कमजोर करती हैं। साहित्य का उद्देश्य आस्था को चुनौती देना नहीं, बल्कि उसे अधिक मानवीय और सार्थक बनाना है। साहित्य की प्रभावशीलता उसकी भाषा में भी छिपी होती है। सरल, सहज और स्वाभाविक भाषा पाठक के मन तक सीधे पहुंचती है। जब लेखक कठिन शब्दों के प्रदर्शन के बजाय जीवन की सच्चाइयों को सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत करता है, तब उसकी रचना अधिक व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचती है। भाषा का सौंदर्य उसकी सरलता में भी हो सकता है और यही गुण श्रेष्ठ साहित्य की पहचान बन जाता है। विचार जितने गहरे हों, अभिव्यक्ति उतनी ही सहज होनी चाहिए। यही संतुलन किसी भी साहित्यिक रचना को प्रभावशाली बनाता है।

डिजिटल युग ने साहित्य के सामने नई चुनौतियाँ और नए अवसर दोनों प्रस्तुत किए हैं। आज का पाठक सीमित समय में सार्थक सामग्री पढ़ना चाहता है। यही कारण है कि लघुकथा और व्यंग्य जैसी विधाओं का महत्व लगातार बढ़ रहा है। सोशल मीडिया और डिजिटल मंचों ने इन विधाओं को नए पाठक भी दिए हैं। हालांकि इसके साथ यह चुनौती भी जुड़ी है कि संक्षिप्तता के नाम पर गहराई समाप्त न हो। साहित्य की गुणवत्ता तभी बनी रहेगी जब लेखक शब्दों की संख्या कम करते हुए भी विचारों की गंभीरता और संवेदनाओं की प्रामाणिकता को बनाए रखेगा।

एक अच्छा साहित्यकार अपने समय का केवल दर्शक नहीं होता, बल्कि उसका सजग साक्षी भी होता है। वह समाज में घटित घटनाओं को केवल दर्ज नहीं करता, बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों और परिणामों पर भी विचार करता है।

यमुना जल समझौता सफल होते भागीरथी प्रयास

राजस्थान में कहावत है कि जल थोड़ो नेह घणो तो दूसरी और घी मांग्या मळे पण पाणी मांग्या नहीं मळे। यानी राजस्थान में पानी भले ही कम हो पर नेह अर्थात स्नेह खूब है तो दूसरी और राजस्थान में घी आसानी से मिल जाता है पर पानी बहुत कम मिल पाता है। यह आज के नहीं सदियों से चले आ रहे हालात है। मृग मरिचिका की तरह पानी की तलाश में लंबी दूरिया तय करनी पड़ती थी पर आज हालात तेजी से बदल रहे हैं। पानी को लेकर समग्र प्रयास किये जा रहे है। राजस्थान नहर ने जहां पश्चिमी राजस्थान की तकदीर ही बदल दी है वहीं नदियों को जोड़ने या अतरिक्त पानी को संजोने के समग्र प्रयास किये जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री का पद संभालते ही पानी को लेकर भागीरथी प्रयास शुरु किये और उन प्रयासों ने रंग लाना शुरु कर दिया है। यमुना जल समझौते के साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राजस्थानवासियों के लिए पानी की समस्या के समाधान के लिए किये जा रहे भागीरथी प्रयासों की कड़ी में एक और मनका जुड़ गया है। देश के लिए यह कोई नई बात नहीं है कि राजस्थान पानी की कमी से जूझता प्रदेश है। यहां पर पेयजल सहित पानी की निर्भरता बरसाती पानी को लेकर ही रही है। अत्यधिक दोहन के चलते जहां पानी उपलब्ध भी है तो वहां पर जलस्तर तेजी से नीचे जाता जा रहा है ऐसे में पानी को लेकर समग्र, समन्वित और योजनाबद्ध प्रयास किया जाना जरुरी हो जाता है। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते पर मेमोरण्डम ऑफ एग्रीमेंट एमओए के हस्तांतरण के साथ ही राजस्थान में यमुना जल के 32 साल पुराने सपने के साकार होने की राह प्रशस्त हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों का ही परिणाम है कि राजस्थान और हरियाणा के बीच ऐतिहासिक समझौता संपन्न हुआ है। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच समझौते से खासतौर से शेखावटी के तीन जिले चुरु, झुन्झुनू और सीकर तक यमुना का जल पहुंच सकेगा। इससे इन जिलों की पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान संभव हो सकेगा। दरअसल 12 मई, 1994 को उपरी यमुना जल बेसिन समझौता हुआ और इसके अनुसार राजस्थान को 10.4 प्रतिशत पानी मिलना था। पर 32 साल बीत जाने के बाद भी यह समझौता धरातल पर उतरने की स्थिति में नहीं आ सका। 29 जून, 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति पर ऐतिहासिक समझौते का परस्पर हस्तांतरण होना अपने आपमें महत्वपूर्ण हो जाता है।

लंबे समय से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के बीच राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के साथ ही राजस्थान में पानी की समस्या को दूर करने के लिए भागीरथी प्रयास शुरु कर दिए गए। उसी का परिणाम है कि पहले पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी पर बात बनी और उसके बाद रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट धरातल पर आना शुरु हुआ। अब यमुना जल समझौते के साथ ही भजनलाल शर्मा के सही मायने में मरुधरा में पानी लाने के भागीरथी प्रयास आकार लेने लगे हैं। भजनलाल शर्मा की पानी को लेकर गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि पिछले दिनों गंगा दशहरे से विश्व पर्यावरण दिवस तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान समूचे प्रदेश में संचालित किया गया। देखा जाए तो यह दूरदर्शी निर्णय और प्रयास जल संकट से निजात और बर्बाद होते पानी के सदुपयोग की दिशा में बढ़ता कदम माना जाना चाहिए। दरअसल नदियों के बरबाद होते पानी का सही उपयोग तय करने के लिए 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना आरंभ की थी। यह योजना सिरे से चढ़ती उससे पहले ही 2004 में नई सरकार आते ही इस परियोजना को ठंडें बस्ते में ड़ाल दिया गया। इसके बाद 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जारी रखने के केन्द्र सरकार को निर्देश दिए। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा 44605 करोड़ की लागत से केन-बेतवा लिंक परियोजना पर काम किया जा रहा है।

गंगानदी पर करीब एक हजार बांध हैं तो गोदावरी पर 350 के आसपास बांध है। इन बांधों पर पानी को सहेजते हुए नदियों के पानी को अनुपयोगी व बर्बादी का कारण बनने से बचाने के स्थान पर क्षेत्रों में पानी की समस्या का समाधान किया जाता है। जहां तक पार्वती, कालीसिंध, चंबल ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना का प्रश्न है। यह राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार व केन्द्र से सहमति नहीं बनने के कारण लंबे समय से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ईआरसीपी 13 जिलों, 9 लोकसभा क्षेत्रों और करीब 83 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी होने के कारण यह परियोजना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का कारण भी रही। इस परियोजना क्षेत्र में राज्य के झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों के निवासी लाभान्वित हो सकेंगे। यह कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है।

देखा जाए तो ईआरसीपी परियोजना हो या रामजल सेतु लिंक योजना या फिर 29 जून को राजस्थान व हरियाणा के बीच संपन्न यमुना जल समझौता हो कुल मिलाकर इसे एक मुख्यमंत्री के भागीरथी प्रयास के रुप में देखा जा सकता है। पानी को सहेजना समय की मांग है और विशेषज्ञों का यह मानना है कि भविष्य का विश्वयुद्ध पानी को लेकर हो सकता है तो अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान सबसे अधिक चिंता का विषय यह भी रहा है कि कही आपसी लड़ाई में डीसेलाइन स्थानों पर आक्रमण हो गया तो पीने के पानी का गंभीर संकट हो जाएगा। हांलाकि ऐसा नहीं होना अच्छी बात रही है।

अभियान

सुंदरकांड की प्रेरक चौपाइयाँ: आत्मविश्वास, पुरुषार्थ और ईश्वर-विश्वास का अमृत संदेश

भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला महान ग्रंथ माना जाता है। इसमें वर्णित प्रत्येक प्रसंग मनुष्य के जीवन के किसी न किसी पक्ष को स्पर्श करता है। विशेष रूप से सुंदरकांड को साहस, विश्वास, समर्पण और विजय का कांड कहा जाता है। यह केवल हनुमान जी की लंका यात्रा का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि जब मनुष्य अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान लेता है और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा से आगे बढ़ता है, तब असंभव दिखाई देने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय परिवारों में सुंदरकांड का नियमित पाठ केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है।

जीवन में प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है, जब उसे लगता है कि उसकी मेहनत का उचित परिणाम नहीं मिल रहा। कई बार लगातार प्रयास करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती, आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है और मन में निराशा घर करने लगती है। ऐसे समय में आध्यात्मिक चिंतन व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। सुंदरकांड का संदेश यही है कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, यदि मन में विश्वास, कर्म में ईमानदारी और ईश्वर के प्रति समर्पण हो, तो सफलता का मार्ग अवश्य खुलता है। यह ग्रंथ चमत्कारों पर निर्भर रहने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि यह बताता है कि ईश्वर का स्मरण मनुष्य को साहस, धैर्य और सही दिशा प्रदान करता है। सुंदरकांड की अनेक चौपाइयाँ ऐसी हैं जिन्हें भारतीय समाज में विशेष रूप से प्रेरणादायक माना जाता है। इन चौपाइयों का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और एकाग्रता के साथ उनका पाठ करता है, तो उसका मन नकारात्मक विचारों से हटकर सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर होता है। नियमित पाठ से मन में स्थिरता आती है, भय कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यही कारण है कि अनेक लोग किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत से पहले सुंदरकांड का पाठ या उसकी कुछ प्रेरक चौपाइयों का स्मरण करते हैं।

प्रसिद्ध चौपाई—

"प्रबिसि नगर कीजे सब काजा। हृदय राखि कोसलपुर राजा॥
गरल सुधा रिपु करहिं मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई॥"

इस चौपाई का आध्यात्मिक संदेश अत्यंत व्यापक है। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि भगवान श्रीराम का स्मरण करने से कार्य सिद्ध हो जाएगा, बल्कि इसका गहरा संकेत यह है कि जब मन में मर्यादा, सत्य, करुणा और धर्म के प्रतीक भगवान श्रीराम के आदर्श बस जाते हैं, तब व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। भय का स्थान साहस ले लेता है और असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियाँ भी सरल लगने लगती हैं। "गरल सुधा" का भाव यह है कि जीवन की विषम परिस्थितियाँ भी सीख और अवसर में बदल सकती हैं। "रिपु करहिं मिताई" यह संकेत देता है कि सद्भाव, संयम और विवेक कई बार शत्रुता को भी समाप्त कर सकते हैं। "गोपद सिंधु" का अर्थ है कि विशाल चुनौतियाँ भी छोटे अवरोध जैसी प्रतीत होने लगती हैं, जबकि "अनल सितलाई" यह संदेश देती है कि संकटों की अग्नि भी धैर्य और विश्वास के सामने शांत हो सकती है। यदि इस चौपाई को केवल चमत्कार के रूप में न देखकर जीवन-दर्शन के रूप में समझा जाए, तो यह हमें बताती है कि सफलता का सबसे बड़ा आधार मानसिक शक्ति है। जब मन भयमुक्त होता है, तब निर्णय बेहतर होते हैं। जब आत्मविश्वास बना रहता है, तब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अवसर खोज लेता है। यही कारण है कि इस चौपाई का नियमित स्मरण व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

इसी प्रकार सुंदरकांड की दूसरी अत्यंत प्रसिद्ध चौपाई—

"कवन सो काज कठिन जग माहीं।
जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं॥
राम काज लगि तव अवतारा।
सुनतहिं भयउ पर्बताकारा॥"

यह चौपाई आत्मविश्वास का अद्भुत संदेश देती है। जब जाम्बवान हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराते हैं, तब हनुमान जी अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचानते हैं। यह प्रसंग केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन का शाश्वत सत्य है। अधिकांश लोग अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान ही नहीं पाते। परिस्थितियाँ, असफलताएँ और भय उनके आत्मविश्वास को दबा देते हैं। लेकिन जब कोई उन्हें उनकी योग्यता का बोध कराता है या वे स्वयं अपने भीतर झाँकते हैं, तब वही व्यक्ति असाधारण उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकता है।

यह चौपाई हमें सिखाती है कि संसार में कठिन कार्य अवश्य होते हैं, लेकिन असंभव कार्य बहुत कम होते हैं। कठिनाइयाँ मनुष्य की परीक्षा लेती हैं, उसकी क्षमता को निखारती हैं और उसे पहले से अधिक मजबूत बनाती हैं। यदि हनुमान जी अपनी शक्ति भूलकर बैठे रहते, तो माता सीता की खोज संभव नहीं होती। इसी प्रकार यदि मनुष्य स्वयं पर विश्वास खो दे, तो उसके सामने आने वाले अवसर भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए यह चौपाई आत्मविश्वास, पुरुषार्थ और ईश्वर पर विश्वास—इन तीनों का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करती है।

सुंदरकांड का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं होती। हनुमान जी ने श्रीराम का स्मरण अवश्य किया, लेकिन उसके बाद अथक परिश्रम भी किया। उन्होंने समुद्र लांघा, अनेक बाधाओं का सामना किया, लंका में प्रवेश किया, माता सीता का पता लगाया और फिर वापस लौटकर पूरी जानकारी श्रीराम को दी। यदि वे केवल प्रार्थना करते रहते और कर्म न करते, तो सफलता संभव नहीं होती। यही कारण है कि सुंदरकांड आस्था और कर्म दोनों के संतुलन का महान ग्रंथ है।

आधुनिक जीवन में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। विद्यार्थी परीक्षा में सफलता चाहते हैं, लेकिन बिना अध्ययन के केवल पाठ करने से सफलता नहीं मिलेगी। व्यापारी उन्नति चाहता है, लेकिन ईमानदारी, योजना और परिश्रम के बिना केवल पूजा पर्याप्त नहीं होगी। नौकरी की तैयारी करने वाला युवा यदि अनुशासन और निरंतर अभ्यास के साथ ईश्वर का स्मरण करे, तो उसका आत्मबल अवश्य बढ़ेगा। इस प्रकार सुंदरकांड हमें यह सिखाता है कि प्रार्थना हमारे भीतर शक्ति जगाती है, जबकि कर्म उस शक्ति को सफलता में बदलता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी नियमित पाठ का विशेष महत्व है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा और एकाग्रता के साथ किसी सकारात्मक मंत्र या चौपाई का उच्चारण करता है, तो उसका मन धीरे-धीरे तनाव, भय और नकारात्मकता से मुक्त होने लगता है। नियमित आध्यात्मिक अभ्यास एक प्रकार का मानसिक अनुशासन विकसित करता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की शक्ति मिलती है। यही कारण है कि सुंदरकांड का पाठ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने का भी एक प्रभावी माध्यम माना जाता है। सुंदरकांड हमें विनम्रता का भी पाठ पढ़ाता है। अपार शक्ति होने के बावजूद हनुमान जी कभी अहंकारी नहीं बने। उन्होंने अपनी प्रत्येक सफलता का श्रेय भगवान श्रीराम की कृपा को दिया। आज के समय में जब थोड़ी-सी उपलब्धि भी कई लोगों में अहंकार उत्पन्न कर देती है, तब हनुमान जी का चरित्र हमें याद दिलाता है कि सच्ची महानता विनम्रता में ही निहित है। शक्ति का मूल्य तभी है जब उसका उपयोग सेवा, धर्म और लोककल्याण के लिए किया जाए। इन चौपाइयों का नियमित पाठ करते समय केवल शब्दों का उच्चारण ही पर्याप्त नहीं माना गया है। उनके अर्थ को समझना और उन्हें जीवन में उतारने का प्रयास करना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति श्रीराम की मर्यादा, सत्यनिष्ठा और करुणा को अपनाने का प्रयास करे तथा हनुमान जी की निष्ठा, परिश्रम, निर्भयता और सेवा-भाव को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाए, तो वही इन चौपाइयों का वास्तविक फल माना जाएगा। केवल पाठ करने से अधिक महत्वपूर्ण है उसके संदेश को अपने आचरण में उतारना। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का मूल संदेश यही है कि ईश्वर मनुष्य के कर्म का सम्मान करता है। श्रद्धा और पुरुषार्थ जब एक साथ चलते हैं, तभी जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त होती है। सुंदरकांड की प्रेरक चौपाइयाँ हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि कठिनाइयाँ जीवन का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का अवसर होती हैं। यदि मन में सकारात्मक सोच, हृदय में ईश्वर का स्मरण और कर्म में पूरी निष्ठा हो, तो बड़े से बड़ा संकट भी धीरे-धीरे समाप्त हो सकता है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

राजस्व पटवारी के रूप में नई नियुक्ति प्राप्त करने वाले 2300 से अधिक युवाओं को गांधीनगर में नियुक्ति पत्र वितरण का गौरवशाली समारोह संपन्न

▶▶ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ राजस्व विभाग की अभिनव पहलरूपी विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ तथा नए कार्यालयों का लोकार्पण किया

▶▶ मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त पटवारियों का ग्रामीण लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही निवारण लाने का सेवा दायित्व निभाने का आह्वान

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▶▶ राजस्व पटवारी राजस्व प्रशासन की रीढ़ की हड्डी हैं

▶▶ तकलीफ में हों; ऐसे लोगों के काम आसानी से पूरे करें, जिनका आशीर्वाद ईश्वर के आशीर्वाद समान है

▶▶ भविष्य में विभाग या सरकार को भी सरलता रहे; ऐसा पद्धतिपूर्ण एवं व्यवस्थतित कामकाज करें

▶▶ लोगों की अपेक्षा संतुष्ट हों; ऐसे कामकाज से घर-परिवार-समाज को प्राउड फील कराएँ

मुख्यमंत्री के करकमलों से नई राजस्व सेवाओं की लॉन्चिंग

▶▶ क्यूआर कोड आधारित रेवेन्यू वॉइस एंड असिस्टेंस :- नागरिक कार्यालयों के साथ रहे अपने अनुभवों तथा कर्मचारियों के व्यवहार के बारे में फीडबैक क्यूआर कोड स्कैन कर दे सकेंगे

▶▶ इंटीग्रेटेड रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम में ई-फाइलिंग सुविधा :- आवेदक घर बैठे ही ई-फाइलिंग से रेवेन्यू केस दाखिल कर सकेंगे, रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकेंगे और केस खत्म होने पर ऑर्डर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राजस्व-पटवारी संवर्ग में नई नियुक्ति प्राप्त करने वाले 2300 से अधिक युवाओं को गुरुवार को गांधीनगर में आयोजित गौरवशाली समारोह में नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा लगभग 21 राजस्व सेवाओं को अधिक सरल एवं तेज बनाने के लिए की गई अभिनव पहलों का शुभारंभ और नए कार्यालयों का लोकार्पण भी किया।

श्री पटेल ने राजस्व-पटवारी को राजस्व प्रशासन की रीढ़ की हड्डी तथा ग्रामीण प्रशासन का आधारस्तंभ बताते हुए नई नियुक्ति प्राप्त कर रहे युवाओं का आह्वान किया कि वे ऐसी जनहितकारी कार्यपद्धति अपनाएँ कि वास्तव में तकलीफ जो व्यक्ति है, उसका काम आसानी से हो जाए। ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को होने वाला संतोष और उसका आशीर्वाद ईश्वर के आशीर्वाद के समान है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "राजस्व पटवारी के रूप में आपका ग्रामीणों की अनेक समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही निवारण लाने का दायित्व होना चाहिए। इतना ही नहीं; जो कुछ भी काम हो, वह ऐसा व्यवस्थित एवं पद्धतिपूर्ण हो कि राजस्व विभाग में या सरकार में भी उस काम के कारण भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न न हो।"

श्री भूपेंद्र पटेल नो जड़ा कि पटवारी के पास आने वाले लोगों की अपेक्षाएँ यही होती हैं कि उनका काम तेजी व सरलता से हो जाए। इसलिए पटवारी को हमेशा सामने वाले व्यक्ति में अपने आपको दखकर कामकाज का मूल्यांकन करना चाहिए।

उन्होंने नवनियुक्त पटवारियों को उनके घर, परिवार और समाज को गौरव हो; ऐसी कार्यप्रणाली से हमेशा कार्यरत रहने की सीख दी और शुभकामनाएँ दीं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत-2047 का जो संकल्प किया है, उसे ये नवनियुक्त युवा विकसित गुजरात के निर्माण से साकार करें।

-: नई राजस्व सेवाओं की लॉन्चिंग :-

नागरिकों के फीडबैक के लिए 'रेवा'

मुख्यमंत्री ने जिन नई राजस्व सेवाओं का लोकार्पण किया, उनमें रेवेन्यू वॉइस एंड असिस्टेंस (रेवा) शामिल है। क्यूआर कोड आधारित इस फीडबैक सिस्टम अंतर्गत राजस्व प्रशासन के कलेक्टर, प्रांत, सब-रजिस्ट्रार, डीएलआईआर तथा तहसीलदार कार्यालय सहित सभी कार्यालयों की सेवाओं के लिए क्यूआर कोड की व्यवस्था कर नागरिकों के फीडबैक प्राप्त करने का यह सेंट्रलाइज्ड सिस्टम 'रेवा' शुरू किया गया।

इस सिस्टम से कार्यालय में उपलब्ध कराई जाने सावी सुविधाओं तथा कार्यालय के स्टाफ के व्यवहार के बारे में नागरिकों से फीडबैक प्राप्त किए जाएंगे, जो उन्हें दी जाने वाली सेवाओं में अधिक सुधार लाने में उपयोगी बनेंगे।

इंटीग्रेटेड रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम (आईआरसीएमएस) में ई-फाइलिंग की नई सुविधा

पहले आईआरसीएमएस में सभी राजस्व कार्यालयों में मैनुअली रेवेन्यू मामले दर्ज होते थे। उस पद्धति में फेरबदल लाकर अब ई-फाइलिंग से आवेदक घर बैठे ही राजस्व मामले दर्ज करा सकेंगे। परिणामस्वरूप समय व शक्ति का बचाव होगा, आसानी से कम समय में केस दाखिल किया जा सकेगा और आवेदक केस के हर चरण को रीयल टाइम ट्रैक कर सकेगा। केस खत्म होने के बाद आवेदक को आदेश तुरंत ही ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा।

यह पद्धति शुरू होने से समग्र राज्य के सभी कार्यालयों में कामकाज में एकरूपता बनी रहेगी और ई-फाइलिंग की सुविधा से केवल आवेदकों को ही नहीं, बल्कि सभी राजस्व कार्यालयों में चल रहे विभिन्न राजस्व केसों के प्रबंधन में भी सरलता व त्वरितता आएगी।

सिटी सर्वे नक्शों को जियोरेफरेंसिंग करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एमओयू

राज्य की सैटलमेंट आयुक्त श्री आर्द्रा अग्रवाल तथा भारत सरकार के एडिशनल सर्वेयर जनरल श्री एम. सी. गोर के बीच सिटी सर्वे नक्शों को जियोरेफरेंसिंग करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एमओयू किया गया।

राजस्व राज्य मंत्री श्री संजयसिंह महीडा ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी प्रक्रिया के फलस्वरूप राजस्व प्रशासन के आधारभूत स्तंभ के रूप में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे उम्मीदवारों के जीवन में आज नए अध्याय की शुरुआत हुई है। पूर्व में रिक्त रहे स्थान बड़े पैमाने पर भरे जाने से अब प्रशासनिक क्षमता दुगुनी होगी और गाँवों तक राजस्व सेवाएँ अधिक सुव्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से पहुँचेंगी। उन्होंने जोड़ा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दीर्घदृष्टि के परिणामस्वरूप राजस्व पटवारी का स्वतंत्र संवर्ग अस्तित्व में आया है।

नवनियुक्त कर्मयोगियों को अभिनंदन देते हुए श्री महीडा ने कहा कि राजस्व पटवारी राज्य सरकार का ऐसा आधारभूत अधिकारी है, जिसका प्रथम एवं सबसे निकटतम संपर्क राज्य के आम नागरिक, गरीब और किसान के साथ होता है। गाँव का आम आदमी छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए सबसे पहले पपटवारी के पास ही आता है। इसलिए कर्मचारियों के व्यवहार-आचरण, निर्णय, भाषा तथा कार्यशैली से ही नागरिक समग्र सरकार की कार्यपद्धति एवं नीयत का अनुभव करते हैं। उनके साथ सद्व्यवहार किया जाएगा, तो शासन व्यवस्था पर नागरिकों का विश्वास और सुदृढ़ बनेगा।

उन्होंने कहा कि पटवारी जिस कागज पर हस्ताक्षर करता है, वह केवल आम दस्तावेज नहीं, बल्कि नागरिक के अधिकार, किसान के विश्वास और राज्य के विकास की प्रक्रियाओं का मूलभूत आधार है। कर्मचारियों की छोटी भूल गरीब को मुश्किल में डाल सकती है और एक सकारात्मक निर्णय किसी के जीवन में आशा का दीप प्रज्ज्वलित कर सकती है।

मुख्य सचिव श्री एम. के. दास ने नवनियुक्त राजस्व पटवारियों को अभिनंदन देते हुए कहा, "आप सबका चयन किसी सिफारिश या प्रभाव या दबाव के बल पर नहीं, अपितु केवल और केवल आपकी क्षमता, कड़े परिश्रम एवं मैरिट के आधार पर हुआ है, जो आप सबके लिए अत्यंत गौरव का विषय है।" उन्होंने जोड़ा कि ग्रामीण स्तर पर आज भी पटवारी का पद बहुत ही आदरणीय एवं दायित्वपूर्ण माना जाता है। समय भले ही बदल गया हो, लेकिन भूमि का प्रबंधन तथा राजस्व प्रशासन सदैव शासन एवं प्रशासन के केन्द्र में रहा है। इसलिए नवनियुक्त पटवारियों को यह दायित्व निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए।

मुख्य सचिव ने भूमि प्रशासन का महत्व समझाते हुए कहा, "किसी भी प्रकार के विकास कार्य जमीन के बिना संभव नहीं है। इसलिए गाँव के लैंड रिकॉर्ड को 100 प्रतिशत सटीक एवं क्षतिरहित रखने और सरकारी जमीनों, गौचर या तालाबों पर होने वाले अवैध अतिक्रमणों को रोककर उन पर कड़ी निगरानी रखने की जिम्मेदारी आप नवनियुक्त पटवारियों की रहेगी।"

राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि ने स्वागत संबोधन में कहा, "राजस्व विभागांतर्गत 2389 राजस्व पटवारियों के रिक्त पद भरने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप यह अभियान सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। गाँव के नागरिकों को अधिक अच्छी सेवाएँ उपलब्ध हों; इसके लिए मुख्यमंत्री ने पटवारी का जॉब चार्ट भी निर्धारित कराया है। गाँव में पटवारी सरकार का चेहरा है। पटवारी को गाँव में जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों, चुनाव, गणना जैसी महत्वपूर्ण सेवाएँ और कामकाज करने होते हैं। ऐसे में अपेक्षा है कि आप सभी नवनियुक्त कर्मयोगी निष्ठा एवं प्राणामिकता से कार्य करेंगे।"

उन्होंने राजस्व पटवारी की पारदर्शी एवं तेज भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए सम्बद्ध सभी विभागों को अभिनंदन दिया।

इस अवसर पर गांधीनगर की महापौर श्री मीराबेन पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेशभाई पटेल, गांधीनगर उत्तर की विधायक श्री रीटाबेन पटेल, सामान्य प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. अंजू शर्मा, गुजरात गौण सेवा चयन मंडल के अध्यक्ष श्री तुषार धोळकिया, राजस्व जाँच आयुक्त श्री राजेश मांजू, राजस्व विभाग के उच्चाधिकारी सहित नियुक्ति प्राप्त करने वाले राजस्व पटवारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

इस कार्यक्रम में सभी जिलों से पदाधिकारी, कलेक्टर सहित नवनियुक्त राजस्व पटवारी वर्चुअल माध्यम से सहभागी हुए।

राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव श्री सचिन पटवर्धन ने आभार ज्ञापन किया।

सुक्खू सरकार पर भाजपा का बड़ा हमला, तीन साल के कार्यकाल को बताया घोटालों और अनियमितताओं से घिरा, विकास पर उठाए सवाल

शिमला। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल को लेकर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश में विकास की अपेक्षा कथित घोटालों, प्रशासनिक अनियमितताओं और सरकारी कार्यप्रणाली को लेकर अधिक चर्चा रही है। भाजपा का कहना है कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरने में असफल रही है, जबकि कांग्रेस सरकार इन आरोपों को पहले भी खारिज करती रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद Sikander Kumar ने शिमला के गंज बाजार स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित महारुद्र हवन एवं सहभोज कार्यक्रम में कांग्रेस सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu के नेतृत्व वाली सरकार का तीन वर्ष का कार्यकाल विकास कार्यों की बजाय कथित घोटालों और अनियमितताओं के आरोपों के कारण अधिक चर्चा में रहा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में सरकार से जुड़े कई और मामले सामने आ सकते हैं तथा यदि किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाब देना होगा। डॉ. सिकंदर कुमार ने आरोप लगाया कि प्रदेश के लगभग प्रत्येक विभाग में किसी न किसी स्तर पर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं। उनके अनुसार सरकारी खरीद प्रक्रियाओं, प्रशासनिक निर्णयों और विभिन्न विभागों के कार्यों को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन वर्तमान सरकार इस कसौटी पर अपेक्षित स्तर पर खरी नहीं उतर सकी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि शासन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जाती, तो जनता का विश्वास कमजोर होता है। भाजपा सांसद ने हाल के वर्षों में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मंडी, कुल्लू-मनाली, चंबा तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी परिस्थितियों के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहत एवं बचाव कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के कार्यकर्ता प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने में लगातार जुटे रहे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर प्रदेश सरकार लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप राहत एवं पुनर्वास कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित नहीं कर सकी।

केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों को लेकर भी डॉ. सिकंदर कुमार ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर केंद्र सरकार पर लगाए जाने वाले आरोप राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन राज्य के हितों की प्रभावी पैरवी करना प्रदेश सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि राज्य सरकार को केंद्र के समक्ष हिमाचल प्रदेश की आवश्यकताओं, वित्तीय सहायता और विकास परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों को मजबूती के साथ रखना चाहिए, ताकि प्रदेश को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी दावा किया कि हिमाचल प्रदेश से जुड़े भाजपा के सांसद संसद के भीतर लगातार राज्य के विकास, आपदा राहत, आधारभूत संरचना, सड़क, पर्यटन और अन्य महत्वपूर्ण विषयों को उठाते रहे हैं। उनके अनुसार केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए सहयोग सुनिश्चित कराने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और भविष्य में भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रदेश सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा द्वारा सरकार के प्रदर्शन पर सवाल उठाना आगामी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले समय में राज्य में विकास, वित्तीय स्थिति, रोजगार, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। उधर, कांग्रेस सरकार पहले भी विपक्ष के ऐसे आरोपों को निराधार बताते हुए अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों का हवाला देती रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर प्रदेश की राजनीति और अधिक गर्माने के संकेत मिल रहे हैं।

राम मंदिर ट्रस्ट की वित्तीय व्यवस्था की गहन जांच, पांच वर्षों के खातों का दोबारा ऑडिट होगा, चढ़ावे से लेकर निर्माण खर्च तक एसआईटी की पैनी नजर

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित चढ़ावा अनियमितता प्रकरण की जांच अब निर्णायक चरण में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) को जांच पूरी करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। इसके साथ ही जांच का दायरा पहले की तुलना में काफी व्यापक कर दिया गया है। अब केवल चढ़ावे की गिनती या दान राशि के रिकॉर्ड तक ही जांच सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ट्रस्ट के पिछले पांच वर्षों के संपूर्ण वित्तीय लेन-देन, लेखा प्रणाली, दान में प्राप्त आभूषणों, बहुमूल्य वस्तुओं तथा मंदिर निर्माण से जुड़े खर्चों की भी विस्तृत जांच की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार एसआईटी की प्रारंभिक पड़ताल में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिन्होंने जांच एजेंसी की चिंता बढ़ा दी है। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि चढ़ावे की गिनती और दान राशि के लेखांकन की प्रक्रिया के दौरान निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सभी स्तरों पर पूरी तरह पालन नहीं किया गया। जांच एजेंसी का मानना है कि यदि प्रक्रिया में कहीं भी निर्धारित नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी वजह और उससे जुड़े सभी तथ्यों का पता लगाया जाना आवश्यक है। इसी कारण अब पूरी गणना प्रणाली, रिकॉर्ड संधारण और वित्तीय दस्तावेजों की दोबारा जांच की जाएगी।

जांच के तहत ट्रस्ट के पिछले पांच वर्षों के खातों का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। इस ऑडिट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि दान के रूप में प्राप्त प्रत्येक राशि का सही लेखा-जोखा दर्ज किया गया है या नहीं, प्राप्त धनराशि का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुरूप हुआ है अथवा नहीं तथा सभी वित्तीय लेन-देन पारदर्शी तरीके से किए गए हैं या नहीं। जांच एजेंसियां बैंक रिकॉर्ड, लेखा पुस्तिकाओं, भुगतान विवरण, प्राप्तियों तथा अन्य वित्तीय दस्तावेजों का मिलान भी करेंगी।

एसआईटी दान में प्राप्त सोने-चांदी के आभूषणों, बहुमूल्य धातुओं तथा अन्य कीमती वस्तुओं का भौतिक सत्यापन भी कराएगी। जांच दल उपलब्ध रिकॉर्ड और वास्तविक रूप से सुरक्षित रखी गई वस्तुओं का मिलान करेगा। सूत्रों के अनुसार कुछ श्रद्धालुओं की ओर से शिकायत की गई थी कि मंदिर में दान देने के बावजूद उन्हें संबंधित वस्तुओं की विधिवत रसीद उपलब्ध नहीं कराई गई। इन शिकायतों के बाद जांच एजेंसी यह भी पता लगाएगी कि दान प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक औपचारिकताओं का पालन किया गया था या नहीं तथा रिकॉर्ड में दर्ज विवरण वास्तविक स्थिति से मेल खाते हैं या नहीं।

जांच केवल चढ़ावे तक सीमित नहीं रहेगी। अब मंदिर निर्माण से जुड़े वित्तीय लेन-देन भी एसआईटी के दायरे में आ गए हैं। सूत्रों के अनुसार निर्माण कार्यों में किए गए भुगतान, सामग्री की खरीद, ठेके देने की प्रक्रिया, भुगतान स्वीकृति, प्रशासनिक अनुमोदन और खर्च से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की भी विस्तार से समीक्षा की जाएगी। जांच एजेंसी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि निर्माण कार्यों के दौरान अपनाई गई वित्तीय प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों और पारदर्शिता के मानकों के अनुरूप थीं या नहीं।

सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक जांच के आधार पर इस मामले में अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन गिरफ्तारियों के बाद एसआईटी विभिन्न दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड, बैंकिंग लेन-देन और संबंधित व्यक्तियों के बयानों का मिलान कर रही है। जांच अधिकारियों का मानना है कि दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी को निर्देश दिया है कि वह 15 जुलाई तक अपनी अगली विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अतिरिक्त समय दिए जाने का उद्देश्य जांच को जल्दबाजी में समाप्त करने के बजाय प्रत्येक पहलू की गहन और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। जांच एजेंसी विभिन्न विभागों और संबंधित संस्थाओं से भी आवश्यक जानकारी जुटा रही है, ताकि किसी भी तथ्य को नजरअंदाज न किया जाए।

सूत्रों के अनुसार जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसका दायरा भी विस्तृत होता जा रहा है। यदि दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड या अन्य साक्ष्यों के आधार पर किसी भी स्तर पर अनियमितता के संकेत मिलते हैं तो जांच का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। यह भी माना जा रहा है कि आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट से जुड़े कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों से पूछताछ की जा सकती है या उन्हें जांच प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

अहमदाबाद में 'फिबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 एशियन क्वालीफायर्स विंडो 3' का शानदार शुभारंभ

▶▶ वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 जुलाई को भारत का मुकाबला कतर से तथा 5 जुलाई को लेबनान से होगा

▶▶ विभिन्न प्रतिष्ठित खेलों के अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के साथ अहमदाबाद लगातार एक बड़े 'स्पोर्ट्स हब' के रूप में उभर रहा है : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

गांधीनगर : अहमदाबाद 'फिबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 एशियन क्वालीफायर्स – विंडो 3' की मेजबानी कर रहा है। इसमें भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम 2 जुलाई से 5 जुलाई, 2026 के दौरान नारणपुरा स्थित वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एशिया की दो मजबूत प्रतिद्वंद्वी टीमों के विरुद्ध टकराएगी।

भारत ने 2 जुलाई गुरुवार को कतर के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की तथा इसके बाद वह 5 जुलाई को लेबनान से भिड़ेगा। क्वालीफिकेशन के लिए ये दोनों मैच अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि विभिन्न खेलों के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के साथ अहमदाबाद लगातार एक बड़े स्पोर्ट्स हब के रूप में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि इसी स्थल पर 'एवीसी मेन्स वॉलीबॉल कप' का सफल आयोजन किए जाने के कुछ ही दिनों बाद शहर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट - 'फिबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 एशियन क्वालीफायर्स (विंडो 3)' का स्वागत कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026 का एवीसी मेन्स वॉलीबॉल कप 20 से 28 जून, 2026 के दौरान अहमदाबाद में आयोजित हुआ था, जो भारत में इस टूर्नामेंट का पहला आयोजन था।

श्री हर्ष संघवी ने आगे कहा, "अहमदाबाद तेजी से एक प्रीमियर स्पोर्ट्स हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के मात्र एक सप्ताह के भीतर एक और बड़े अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करना गुजरात के वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा राज्य में अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को प्रोत्साहन देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

ये मैच फिबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 के एशियन क्वालीफायर्स में भारत के अभियान का एक हिस्सा हैं। हेड कोच स्कॉट फ्लेमिंग के मार्गदर्शन में भारतीय टीम वर्तमान में युवा प्रतिभाओं को निखारने तथा मूल्यवान अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने पर विशेष जोर देकर पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है।

नवीनतम फिबा रैंकिंग में विश्व में 76वें तथा एशिया में 14वें स्थान पर मौजूद भारतीय टीम क्वालीफिकेशन अभियान की चुनौतीपूर्ण शुरुआत के बाद अब बेहतर प्रदर्शन की आशा करेगी। अहमदाबाद के होम ग्राउंड (स्थानीय दर्शकों के समर्थन) का लाभ टीम को अनुभवी प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध मजबूत चुनौती पेश करने के लिए बड़ा आत्मविश्वास प्रदान करेगा।

भारतीय टीम में कँवर संधु, प्रणव प्रिंस, प्रिंसपाल सिंह तथा हर्ष डागर जैसे कुछ आशावान खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने हाल की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है।

अहमदाबाद चार दिनों तक अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल मैचों का साक्षी बनने जा रहा है। ऐसे में अपेक्षा है कि बड़ी संख्या में बास्केटबॉल प्रेमी राष्ट्रीय टीम का समर्थन करने पहुंचेंगे। एशियाई बास्केटबॉल में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए ये दोनों मैच बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

राजकोट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर करोड़ों के खर्च का विवाद, चाय-नाश्ते से लेकर पानी तक के बिलों ने खड़े किए सवाल, भुगतान पर रोक

राजकोट। गुजरात के राजकोट नगर निगम (आरएमसी) द्वारा जंगलेश्वर क्षेत्र में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। अभियान समाप्त होने के बाद नगर निगम के समक्ष तीन करोड़ रुपये से अधिक के खर्च का बिल प्रस्तुत किया गया, जिसमें चाय, नाश्ता, मिठाइयां, भोजन, बोतलबंद पानी, टेंट, वीडियोग्राफी और ड्रोन निगरानी जैसे मदों में असामान्य रूप से अधिक खर्च दर्शाया गया है। बिलों की राशि सामने आने के बाद नगर निगम के नवगठित राजनीतिक बोर्ड ने भुगतान पर तत्काल रोक लगा दी है और पूरे मामले की गहन जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर दिया है। अब यह मामला केवल वित्तीय अनियमितता तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि नगर निगम की खरीद प्रक्रिया, भुगतान प्रणाली और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

जानकारी के अनुसार, जंगलेश्वर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम ने व्यापक स्तर पर अभियान चलाया था। इस दौरान बड़ी संख्या में निगम कर्मचारी, पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य विभागों के कर्मचारी तैनात किए गए थे। अभियान के बाद विभिन्न विभागों की ओर से जो बिल प्रस्तुत किए गए, उनमें कई मदों में खर्च सामान्य सरकारी मानकों की तुलना में काफी अधिक पाया गया। इसी कारण स्टैंडिंग कमेटी ने पूरे भुगतान की समीक्षा करने का निर्णय लिया।

सबसे अधिक चर्चा चाय-नाश्ते और भोजन पर किए गए खर्च को लेकर हो रही है। नगर निगम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार केवल रिफ्रेशमेंट के नाम पर लगभग 27.20 लाख रुपये का बिल पेश किया गया है। इस बिल में 21,310 कप चाय, 13,390 विशेष लंच प्लेट, काजू कतली, जलेबी, खजूर रोल तथा अन्य खाद्य सामग्री का उल्लेख किया गया है। अधिकारियों का दावा है कि यह भोजन और नाश्ता अभियान में तैनात कर्मचारियों के साथ-साथ मौके पर मौजूद लगभग 190 मीडिया प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराया गया था। हालांकि इतनी बड़ी राशि और खाद्य सामग्री की मात्रा को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।

पीने के पानी पर हुए खर्च ने भी जांच एजेंसियों का ध्यान आकर्षित किया है। रिकॉर्ड के अनुसार अभियान के दौरान लगभग 4,800 कर्मचारियों के लिए बोतलबंद मिनरल वाटर की व्यवस्था की गई थी, जिसके लिए करीब 12.40 लाख रुपये का बिल प्रस्तुत किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 200 मिलीलीटर की पानी की प्रत्येक बोतल के लिए नगर निगम से 8 रुपये की दर वसूली गई। जबकि अधिकारियों का कहना है कि इसी प्रकार की बोतल थोक बाजार में तीन रुपये से भी कम कीमत पर उपलब्ध होती है और सामान्य खुदरा बाजार में इसकी कीमत लगभग पांच रुपये होती है। इस मूल्य अंतर ने खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अभियान के दौरान लगाए गए अस्थायी टेंट और शेल्टर के लिए भी लगभग 9.94 लाख रुपये का दावा किया गया है। इसके अलावा पूरे अभियान की वीडियोग्राफी, ड्रोन सर्विलांस और कैमरा सेवाओं पर लगभग 22 लाख रुपये खर्च होने का दावा किया गया है। नगर निगम अब यह जांच कर रहा है कि इन सेवाओं के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं तथा प्रस्तुत किए गए बिल वास्तविक कार्य के अनुरूप हैं या नहीं।

जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि विभिन्न मदों के भुगतान अलग-अलग विभागों के माध्यम से किए जाने की तैयारी की गई थी। अधिकारियों के अनुसार भोजन और रिफ्रेशमेंट से संबंधित खर्च का भुगतान फ्लावर एंड गार्डन विभाग के माध्यम से किया जाना था, जबकि पेयजल, टेंट और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े बिलों का भुगतान कल्चरल विभाग के जिम्मे रखा गया था। स्टैंडिंग कमेटी अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इस प्रकार विभागों के माध्यम से भुगतान कराने का कोई वैध प्रशासनिक आधार था अथवा वित्तीय प्रक्रियाओं से बचने के उद्देश्य से ऐसा किया गया।

नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी ने पूरे मामले को गंभीर मानते हुए सभी लंबित भुगतानों पर तत्काल रोक लगा दी है। समिति का कहना है कि जब तक प्रत्येक बिल की विस्तृत जांच पूरी नहीं हो जाती और खर्च की वास्तविकता स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक किसी भी एजेंसी या ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाएगा। समिति ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक धन के उपयोग में किसी भी प्रकार की अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी।

इसी उद्देश्य से विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। एसआईटी को निर्देश दिए गए हैं कि वह खरीद प्रक्रिया, निविदा प्रणाली, बिल तैयार करने की प्रक्रिया, भुगतान स्वीकृति और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की विस्तृत जांच करे। जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि कहीं खरीद, बिलिंग, मूल्य निर्धारण या भुगतान की मंजूरी में किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी, नियमों की अनदेखी या जानबूझकर अनियमितता तो नहीं बरती गई।

अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए नया 'वैज्ञानिक हथियार' बनीं मोबाइल फॉरेंसिक वैन : दो वर्ष में 37 हजार से अधिक क्राइम सीन पर पहुंचीं

▸▸ गुजरात में 47 फॉरेंसिक वैन कार्यरत, क्राइम सीन पर 'ऑन द स्पॉट' प्राथमिक परीक्षण करने के लिए तैयार
▸▸ सबूतों को नष्ट होने से बचाने, प्रक्रिया को तेज करने और जांच को गति देने के लिए मिनी फॉरेंसिक लेबोरेटरी

गांधीनगर : जब पुलिस किसी भी अपराध की जांच करती है, तब यह आवश्यक है कि सबूत समय पर इकट्ठा किए जाएं, और साथ ही यह भी आवश्यक है कि उनमें किसी भी प्रकार की मिलावट या अशुद्धिकरण (कंटेमिनेशन) यानी छेड़छाड़ न हो। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए गुजरात में 47 मोबाइल फॉरेंसिक वैन (एमएफवी) पुलिस जांच में सहयोग के लिए कार्यरत हैं। ये फॉरेंसिंक वैन यह सुनिश्चित करती हैं कि अपराध स्थल पर सबूतों को जल्द से जल्द सुरक्षित रखा जाए, उनकी प्राथमिक जांच समय पर हो जाए तथा शुरुआती फॉरेंसिक राय मिल जाए, ताकि त्वरित पुलिस जांच में मदद मिल सके। राज्य में फॉरेंसिक विज्ञान का दायरा बढ़ाने के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दूरदर्शी सोच के साथ गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (जीएसएफयू) की स्थापना की थी, जिसे अब केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। पुलिस के कामकाज और कानून व्यवस्था बनाए रखने में फॉरेंसिक विज्ञान का व्यापक उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके विजनरी मार्गदर्शन में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में समयानुकूल नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों में दोषसिद्धि दर (सजा की दर) को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति से अपराधों की जांच को विशेष महत्व दिया गया है। इन कानूनों के लागू होने से 7 साल से अधिक की सजा के प्रावधान वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बना दिया गया है, ऐसे में फॉरेंसिक विज्ञान की भूमिका और भी बढ़ गई है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल प्रधानमंत्री के विजन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं।

37 हजार से अधिक क्राइम सीन पर पहुंचीं मोबाइल फॉरेंसिक वैन

केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2024 में 47 में से 28 मोबाइल फॉरेंसिक वैन (एमएफवी) को अपग्रेड किया गया। गत दो वर्षों में एमएफवी 37,269 क्राइम सीन/स्पॉट पर पहुंची हैं। एमएफवी ने हत्या, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो), लूट, चोरी, आगजनी और नारकोटिक्स सहित अन्य महत्वपूर्ण अपराधों के मामलों में घटनास्थल पर सहायता प्रदान की है। अलग-अलग क्राइम सीन यानी घटनास्थलों के दौरों में मिले अपराधवार आंकड़ें इस प्रकार है : हत्या (1529), बलात्कार/पॉक्सो/बच्चों के साथ दुर्व्यवहार (3746), हत्या का प्रयास (1583), लूट (728), सेंधमारी/चोरी (2758), गोलीबारी (154), विस्फोट (43), आगजनी 92893), नारकोटिक्स (1968) और फेटल-जानलेवा मामले (9022)। इसके अलावा, 10,457 अन्य घटनास्थल के दौरों में आकस्मिक मौत, हिरासत में मौत, अप्राकृतिक मौत, संदिग्ध घटनाओं और दूसरी कानून व्यवस्था से जुड़ी फॉरेंसिक जांच शामिल हैं।

चलती-फिरती फॉरेंसिक लेबोरेटरी, अलग-अलग अपराधों के लिए है अलग-अलग किट

इन मोबाइल फॉरेंसिक वैनों में 12 विशेष वैज्ञानिक किट उपलब्ध हैं। जिनमें डीएनए और सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़े सबूतों की किट, नारकोटिक्स स्क्रीनिंग किट, एक्सप्लोसिव स्क्रीनिंग किट, गन शॉट रेसिड्यू किट, आगजनी की जांच के लिए किट, फुट प्रिंट और टायर प्रिंट कास्टिंग किट सहित अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं।

इन वाहनों में स्टीरियो माइक्रोस्कोप, डीएसएलआर कैमरा, जीपीएस वाले बॉडी-वॉर्न कैमरा सिस्टम, लैपटॉप और प्रिंटर, मिनी रेफ्रिजरेटर, एलईडी स्क्रीन, हाई इंटेंसिटी फॉरेंसिक लाइट सोर्स, जनरेटर सेट और अन्य आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध हैं। इन उपकरणों की मदद से अपराध स्थल पर ही विभिन्न सबूतों जैसे खून के धब्बे और अन्य जैविक नमूने, फिंगरप्रिंट्स, पैरों और टायर के निशान, गन शॉट रेसिड्यू, नारकोटिक्स पदार्थ, विस्फोटक अवशेष, जली हुई सामग्री, बाल, फाइबर, मिट्टी के नमूने और कांच के टुकड़े सहित अन्य सूक्ष्म सबूतों की शुरुआती जांच की जा सकती है।

तेज जांच और मजबूत सबूत

मोबाइल फॉरेंसिक वैन का मुख्य उद्देश्य अपराध स्थल पर तत्काल वैज्ञानिक सहायता देना, सबूतों को उचित तरीके से सुरक्षित रखना, सबूत दूषित होने की संभावना को कम करना और क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन करना है। विशेषकर, बलात्कार और पॉक्सो के मामलों में जैविक सबूतों की समय पर पहचान करना और सबूतों को इकट्ठा करना महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में इस वैन की भूमिका काफी अहम हो जाती है। बॉडी कैमरा, डीएसएलआर फोटोग्राफी और सीसीटीवी आधारित दस्तावेजीकरण के कारण क्राइम सीन का वैज्ञानिक तरीके से अवलोकन भी अधिक प्रभावी हो गया है।

आज, आपराधिक जांच वैज्ञानिक सबूतों पर अधिक से अधिक निर्भर हो रही है, इसलिए गुजरात में मोबाइल फॉरेंसिक वैन अपराधों की जांच-पड़ताल करने के तरीके को बदल रहे हैं। इस प्रकार, फॉरेंसिक विज्ञान सीधे घटनास्थल पर पहुंचता है, अहम सबूतों को सुरक्षित रखता है और फर्स्ट रिस्पॉन्स से लेकर अंतिम निर्णय आने तक मजबूत केस बनाने में मदद करता है।

कनॉट पैलेस में बांसुरी बजाते एक बुजुर्ग का भावुक वीडियो वायरल हो गया है, "मैं भिखारी नहीं हूँ" कैप्शन ने लोगों का दिल जीत लिया है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। कला की कोई सीमा नहीं होती। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट पैलेस का एक बेहद भावुक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग कलाकार सड़क किनारे बैठकर बांसुरी बजाते नजर आ रहे हैं। उनकी मधुर धुन सुनकर राहगीर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और कुछ देर के लिए वहीं रुक जाते हैं। इस वीडियो का मुख्य आकर्षण उनके द्वारा रखा गया एक बोर्ड है, जिस पर लिखे शब्दों ने लाखों लोगों को भावुक कर दिया है।

उसके हाथ में जो बोर्ड है, उस पर अंग्रेजी में लिखा है: मैं भिखारी नहीं हूँ, बस संगीत की मदद से आपकी आत्मा को छूना चाहता हूँ।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि यह बुजुर्ग व्यक्ति पूरे मन से बांसुरी बजा रहा है। बोर्ड पर लिखे उनके संदेश से स्पष्ट है कि वे लोगों से भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपनी अद्भुत कला और संगीत के माध्यम से लोगों तक अपनी भावनाएं पहुंचाना चाहते हैं। इस उम्र में भी उनका आत्मसम्मान और कला के प्रति प्रेम ही लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय: वकील की फीस 'अपराध की आय' नहीं है, खाता फ्रीज करना अनुचित है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि आरोपी द्वारा अपने वकील को व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान की गई फीस को "अपराध की आय" नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह भुगतान आरोपी द्वारा किया गया था। जब तक वकील स्वयं आपराधिक कृत्य में शामिल न हो, तब तक उसकी पेशेवर फीस को अपराध की आय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और अरुण कुमार की पीठ उत्तर प्रदेश पुलिस की साइबर सेल द्वारा एक वकील के पूरे बैंक खाते को फ्रीज किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में, वकील आयुष बाजपेयी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि साइबर सेल ने कथित धोखाधड़ी वाले लेनदेन का हवाला देते हुए उनका बैंक खाता फ्रीज कर दिया है। खाते में मौजूद धनराशि उनके मुवक्किलों से प्राप्त पेशेवर फीस है। सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि एक वकील सरकार, किसी सम्मानित नागरिक या आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्ति से भी फीस प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि ऐसा आरोपी वकील के खाते में फीस जमा करता है, तो उस राशि को "अपराध की आय" नहीं कहा जा सकता।

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह राशि वकील की वैध पेशेवर आय का हिस्सा है, जो उसे अपने कानूनी कर्तव्यों के निर्वाह के बदले में प्राप्त होती है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि साइबर सेल केवल संदिग्ध या धोखाधड़ी वाले लेन-देन के आधार पर किसी पूरे बैंक खाते को फ्रीज नहीं कर सकती।

तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल, 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को आएंगे नतीजे, चुनावी सरगर्मियां तेज

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन रिक्त विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार तीनों राज्यों में 30 जुलाई को मतदान कराया जाएगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को होगी। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और सभी प्रमुख दलों ने उम्मीदवारों के चयन तथा चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी तथा इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

उपचुनाव बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट, मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट और गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट पर होंगे। ये तीनों सीटें अलग-अलग कारणों से रिक्त हुई हैं, जिसके बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित समयसीमा में उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव की औपचारिक प्रक्रिया 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी। इसके बाद चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार 13 जुलाई तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 14 जुलाई को सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और पात्रता की समीक्षा होगी। यदि किसी उम्मीदवार का नामांकन नियमों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो उसे निरस्त किया जा सकता है। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई निर्धारित की गई है। इसके बाद चुनाव मैदान में अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी होगी और चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा।

निर्वाचन आयोग के अनुसार 30 जुलाई को सुबह से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। मतदाता अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से मतदान करेंगे। मतदान समाप्त होने के बाद सभी मशीनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा। इसके बाद 3 अगस्त को मतगणना की जाएगी और उसी दिन तीनों विधानसभा सीटों के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारी मिलने के कारण उन्हें विधानसभा सदस्यता छोड़नी पड़ी, जिसके चलते इस सीट पर उपचुनाव आवश्यक हो गया। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र राज्य की राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीटों में गिना जाता है और यहां होने वाला चुनाव सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का विषय माना जा रहा है।

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद खाली हुई। संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया। दतिया क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच लंबे समय से सीधा राजनीतिक मुकाबला रहा है। ऐसे में इस उपचुनाव को दोनों दल आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं।

गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक योगेशभाई नारायणभाई पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई है। उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिसे भरने के लिए निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की है। मंजलपुर विधानसभा क्षेत्र भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन उपचुनाव में विपक्ष भी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तीनों विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके लागू होते ही संबंधित क्षेत्रों में सरकार और राजनीतिक दलों के लिए कई प्रकार के प्रतिबंध प्रभावी हो गए हैं। अब कोई भी नई सरकारी योजना घोषित नहीं की जा सकेगी और न ही ऐसी कोई घोषणा की जा सकेगी जिससे मतदाताओं को प्रभावित करने की आशंका हो। सरकारी संसाधनों का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा तथा अधिकारियों को निष्पक्षता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीन का उपयोग अनिवार्य होगा। वीवीपैट प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक मतदाता अपने मतदान की पुष्टि कुछ सेकंड तक मशीन की स्क्रीन पर देख सकेगा, जिससे मतदान प्रक्रिया पर भरोसा और अधिक मजबूत होगा। आयोग ने सभी मतदान कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने और मशीनों की तकनीकी जांच समय रहते पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों तथा राज्य पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, मतदाताओं को निर्भय वातावरण उपलब्ध कराने तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही यह केवल तीन विधानसभा सीटों का उपचुनाव है, लेकिन इसके परिणाम संबंधित राज्यों की राजनीति पर व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रमुख राजनीतिक दल इन चुनावों को अपनी जनस्वीकृति और संगठनात्मक ताकत की परीक्षा के रूप में देख रहे हैं। यही कारण है कि चुनाव प्रचार के दौरान वरिष्ठ नेताओं की सभाएं, जनसंपर्क अभियान और राजनीतिक रणनीतियां विशेष रूप से देखने को मिल सकती हैं।

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील करते हुए कहा है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति हैं। आयोग ने यह भी भरोसा दिलाया है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया संविधान और कानून के अनुरूप पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी, ताकि प्रत्येक मतदाता का विश्वास चुनाव प्रणाली में और अधिक मजबूत हो सके।

वडोदरा मंडल द्वारा प्रतापनगर रेलवे कॉलोनी में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक आयोजित

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के चिकित्सा विभाग द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत विद्या मंदिर, प्रतापनगर रेलवे कॉलोनी में पल्स पोलियो टीकाकरण शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य पाँच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो से सुरक्षित रखने हेतु ओरल पोलियो वैक्सीन (ओपीवी) की खुराक प्रदान करना था।

वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार शिविर में रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा अपने पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक दिलाई। स्वास्थ्य इकाई के चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों ने बच्चों का टीकाकरण करने के साथ-साथ अभिभावकों को पोलियो उन्मूलन के प्रति जागरूक भी किया।

अभियान के दौरान अभिभावकों को बताया गया कि भारत भले ही पोलियो मुक्त हो, किन्तु पड़ोसी देश पाकिस्तान में वाइल्ड पोलियो वायरस अभी भी सक्रिय है। अंतरराष्ट्रीय आवागमन के कारण इसके पुनः फैलने की आशंका बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दौरान पाँच वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को, पूर्व में टीकाकरण हो चुका होने पर भी, ओरल पोलियो वैक्सीन की दो बूंदें अवश्य पिलानी चाहिए, जिससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ बनी रहे और देश पोलियो मुक्त बना रहे।

वडोदरा मंडल का चिकित्सा विभाग बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षित भविष्य के लिए ऐसे जनहितकारी स्वास्थ्य अभियानों के सफल संचालन हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।

जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आनंद में 500 से अधिक जरूरतमंदों को मूंग पुलाव का निःशुल्क वितरण

आनंद : जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री केसर लालवाणी के मार्गदर्शन में आनंद शहर में 500 से अधिक जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क मूंग पुलाव का वितरण किया गया। इस सेवा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित एवं जरूरतमंद लोगों तक प्रेम, करुणा और मानवता का संदेश पहुँचाना था।

श्री केसर लालवाणी पिछले कई वर्षों से समाजसेवा के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहकर जरूरतमंद लोगों तथा मूक एवं बेसहारा पशुओं की निःस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। एक इन्फ्लुएंसर के रूप में आनंद ही नहीं, बल्कि पूरे गुजरात में अपनी अलग पहचान और लोकप्रियता प्राप्त करने के बाद उन्होंने मूक पशुओं की सेवा एवं संरक्षण के उद्देश्य से जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट द्वारा नियमित रूप से मानव सेवा, जीवदया तथा गौसेवा से जुड़े

विभिन्न सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

इस अवसर पर श्री केसर लालवाणी ने बताया कि शीघ्र ही आनंद में "जीवदया गौधाम" की शुरुआत की जाएगी। इस गौधाम में बीमार, दुर्घटनाग्रस्त, परित्यक्त तथा दूध न देने वाली गायों को निःशुल्क उपचार, पौष्टिक आहार, उचित देखभाल और स्थायी आश्रय प्रदान किया जाएगा। गौधाम का मुख्य उद्देश्य मूक पशुओं को सुरक्षित जीवन और सम्मानजनक संरक्षण उपलब्ध कराना होगा।

कार्यक्रम में उपस्थित सेवाभावी कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों ने जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट की इस सेवा पहल की सराहना की। श्री केसर लालवाणी ने समाज के दानदाताओं, गौप्रेमियों तथा सेवाभावी नागरिकों से मानव सेवा और जीवदया के इस पुण्य कार्य में सहभागी बनने की अपील की।

"मानव सेवा ही माधव सेवा है और जीवदया ही सच्ची सेवा है।" इसी संदेश के साथ जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट भविष्य में भी समाज एवं मूक पशुओं के कल्याण के लिए अपनी विभिन्न सेवाभावी गतिविधियों को और अधिक व्यापक स्तर पर जारी रखेगा।

मंडल रेल प्रबंधक ने भावनगर-धोला एवं खिजड़िया–धोला रेलखंड का किया व्यापक संरक्षा निरीक्षण और जनप्रतिनिधियों के साथ रेल विकास पर की समीक्षा बैठक

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने 02 जुलाई, 2026 को भावनगर–धोला रेलखंड, खिजड़िया–धोला रेलखंड, धोला स्टेशन एवं अमरेली स्टेशन का व्यापक निरीक्षण कर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान यात्री सुविधाओं, स्टेशन विकास, रेल संरक्षा, स्वच्छता तथा प्रगति पर चल रही विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश दिए।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल उपलब्धता, प्लेटफॉर्म सुधार कार्यों, संरक्षा उपायों तथा अन्य विकास परियोजनाओं का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए, ताकि यात्रियों को बेहतर एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

निरीक्षण के उपरांत अमरेली क्षेत्र के माननीय कानून, न्याय, ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री, गुजरात सरकार श्री कौशिकभाई कांतिभाई वेकरिया एवं माननीय सांसद श्री भरतभाई सुतरिया के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र की रेल सुविधाओं के विस्तार, यात्री आवश्यकताओं तथा विभिन्न विकासात्मक विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए मंडल रेल प्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मंडल रेल प्रबंधक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं गुणवत्तापूर्ण रेल सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सभी विकास कार्यों में रेल संरक्षा को सर्वोच्च महत्व देने, गुणवत्ता मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने तथा परियोजनाओं की नियमित एवं प्रभावी निगरानी करने पर विशेष बल दिया।

उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे आपसी समन्वय, टीम भावना, उत्तरदायित्व एवं कार्यकुशलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए भावनगर मंडल को उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सक्रिय योगदान दें।

इस अवसर पर भावनगर मंडल के विभिन्न विभागों के शाखा अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।

मंडलीय रेलवे चिकित्सालय, भावनगर में राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे-2026 गरिमापूर्ण एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल स्थित मंडलीय रेलवे चिकित्सालय (DRH) में 01 जुलाई, 2026 को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे-2026 का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार के नेतृत्व में अत्यंत गरिमापूर्ण एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सकों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता एवं उनके अमूल्य योगदान के प्रति आभार व्यक्त करना था।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि समारोह का आयोजन दो चरणों में किया गया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के लगभग 70 सदस्यों ने मंडलीय रेलवे चिकित्सालय का भ्रमण कर सभी चिकित्सकों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रत्येक चिकित्सक को स्मृति-चिह्न भेंट कर उनके समर्पित, निस्वार्थ एवं मानवीय सेवाभाव के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए तथा चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट की। यह अवसर समाज द्वारा चिकित्सकों के प्रति सम्मान, विश्वास एवं आस्था का प्रेरणादायी उदाहरण बना।

समारोह के द्वितीय चरण में मंडलीय रेलवे चिकित्सालय के सभी चिकित्सकों एवं कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से डॉक्टर्स डे समारोह में भाग लिया। इस दौरान टीम भावना एवं सहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु मेडिकल डम्ब शराड्स (Medical Dumb Charades) तथा रैपिड फायर मेडिकल क्विज (Rapid Fire Medical Quiz) जैसी मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सभी प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह, खेल भावना एवं आपसी सहयोग के साथ इन गतिविधियों में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण, सहयोगात्मक एवं पारिवारिक वातावरण देखने को मिला।

समारोह के समापन अवसर पर चिकित्सकों द्वारा मानव सेवा के प्रति प्रदर्शित समर्पण, रोगियों के प्रति संवेदनशीलता तथा उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं की सराहना की गई। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन, सामूहिक छायाचित्र एवं जलपान के साथ हुआ।

इस अवसर पर यह संदेश भी साझा किया गया कि—"चिकित्सक केवल रोगों का उपचार नहीं करते, वे आशा, विश्वास और जीवन का संचार करते हैं।" राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के इस आयोजन ने चिकित्सकों के प्रति सम्मान, सेवा भावना एवं मानवता के मूल्यों को और अधिक सुदृढ़ करने का संदेश दिया।